

1986 से प्रकाशित

27 अप्रैल-03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

## कोयला खदानों की नीलामी

# कालिख ही कालिख



कोयले की कालिख ही ऐसी है कि लाख चतुराई करें, तो भी एक-दो धब्बे लगने तय हैं। इस बार भी कोयले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कोयले की कालिख ने यूपीए सरकार का तख्त पलट दिया था। कैंग ने एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही थी, लेकिन चौथी दुनिया शुरू से इस घोटाले को 26 लाख करोड़ रुपये का बताता रहा है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सारे आवंटन रद्द कर दिए थे। अब दोबारा से उन कोयला खदानों की नीलामी शुरू हो गई है। कोयला खदानों के आवंटन से लाखों करोड़ रुपये मिलने की बात की जा रही है। यह सही भी है। कई सारी खदानों की नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है, खूब सारा पैसा भी मिल रहा है। लेकिन कोयला तो आखिर कोयला है, सो विवाद यहां भी पैदा हो गया है। मामला गारे पाल्मा खदान के आवंटन और फिर उसे रद्द करने का है। यह आवंटन जिंदल पावर को हुआ था। कारण बोली कम लगना है, लेकिन यह सरकारी तर्क है। इसे दूसरे नज़रिये से देखें, तो कई तथ्य ऐसे हैं, जिन पर शौर करने की ज़रूरत है। कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और, अगर जवाब मिल जाए, तो शायद भ्रष्टाचार के नए तरीके और नए पन्ने एक बार फिर देश की जनता के सामने आएंगे।



शशि शेखर

**छ** तीसगढ़ की गारे पाल्मा 4/2-3 कोयला खदान की नीलामी रद्द की जा चुकी है। 19 फरवरी, 2015 को इस खदान की सबसे बड़ी बोली जिंदल पावर लिमिटेड ने लगाई थी। बाकायदा जिंदल पावर लिमिटेड को इस खदान का आवंटन भी हो गया, लेकिन इस बीच इस आवंटन को लेकर कुछ सवाल शुरू हो गए। मसलन, जहां अन्य कंपनियों ने इस तरह की कोयला खदानें 1,000 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर ली थीं, वहीं जिंदल को गारे पाल्मा 4/2-3 खदान बेस प्राइस 100 रुपये से मात्र आठ रुपये अधिक पर मिल गई। इस तथ्य को थोड़ा और सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है। शिड्यूल-2 में शामिल कोयला खदानों की बोली लगाने के लिए सरकार ने प्रति टन 100 रुपये का बेस प्राइस रखा था। यानी कोई भी कंपनी इससे कम की बोली नहीं लगा सकती थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ध्यान में रखने लायक है कि कोयले की यह खदान अनुसूची-दो (शिड्यूल-2) में शामिल थी। यानी इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाना था। अब इस अनुसूची में शामिल कोयला खदानों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के मूल्य पर ध्यान दें। तोकीसुड उत्तरी खदान एस्सार पावर एमपी लिमिटेड ने 1,010 (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस) रुपये की बोली लगाकर हासिल की। यानी कोयला का मूल्य हुआ 1,110 रुपये प्रति टन। ट्रांस दामोदर खदान दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 840 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर हासिल की। जेपी वेंचर्स लिमिटेड ने अमेलिया उत्तरी खदान 612, जीएमआर छत्तीसगढ़ ने तालाबीरा-1 खदान 378 रुपये और सीईएससी ने सरिसाटोली खदान 370 रुपये प्रति टन की बोली

### पावर सेक्टर के लिए शिड्यूल 2 में शामिल कोयला खदान के ई ऑक्शन में किसने कितनी बोली लगाई (बेस प्राइस 100 रुपये)



### क्वालिफाइड बीडर्स में एक ही समूह की तीन कंपनी

क्वालिफाइड बीडर्स	इनीशियल ऑफर प्राइस में कोटेड प्राइस	सबसे ऊंची बोली
1. अडांनी पावर महाराष्ट्र लि.	501	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
2. जीएमआर छत्तीसगढ़ एनजी लि.	0	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
3. जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	505	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
4. जिंदल पावर लिमिटेड (64849)	450	108 (एफ) 19.2.2015
5. जिंदल पावर लिमिटेड (65465)	452	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
6. जिंदल पावर लिमिटेड (65476)	451	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया

लगाकर जीती. लेकिन, सबसे अहम और दिलचस्प बोली लगी गारे पाल्मा 4/2-3 खदान की. इसे मात्र

आठ रुपये प्रति टन (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस यानी मात्र 108 रुपये प्रति टन) की बोली लगाकर

जिंदल पावर लिमिटेड ने हासिल कर लिया.

अब सवाल है कि गारे पाल्मा मामले में ऐसा क्या हुआ कि मात्र आठ रुपये प्रति टन की बोली लगाकर जिंदल पावर ने उक्त खदान हासिल कर ली? जाहिर है, यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर विवाद होना तय था. सो हुआ. मीडिया में रिपोर्ट आई, तो सरकार ने इस पर क्रम उठाने की बात कही. अंत में क्रम यह उठाया गया कि तत्काल प्रभाव से सरकार ने गारे पाल्मा 4/2-3 का आवंटन रद्द कर दिया. यह अलग बात है कि जिंदल ने सरकार के इस क्रम का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने अभी इस मामले में स्टे भी दे दिया है. कोयला मंत्रालय ने आवंटन रद्द करने के बारे में यह कहा कि इस कोयला खदान की बोली कम थी. फिर सवाल पैदा होता है कि यह बोली कम थी या फिर बोली जानबूझ कर कम लगाई गई थी? और अगर जानबूझ कर, सोच-समझ कर बोली कम लगाई गई थी, तो इसके लिए दोषी कौन है? सवाल यह भी है कि नीलामी में शामिल अन्य कंपनियों ने बोली लगाई भी या नहीं या सिर्फ जिंदल ने ही बोली लगाई और बाकी कंपनियां चुपचाप बैठी रहीं? बोली न लगाने वाली कंपनियों कौन हैं? क्या सरकार ऐसी कंपनियों से भी पूछताछ करेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब सामने आना चाहिए. वैसे इन सारे सवालों पर सरकार अब तक चुप है.

वैसे यह जानना दिलचस्प होगा कि 108 रुपये प्रति टन कोयले की असली कहानी क्या है? यह संभव कैसे हुआ और क्यों हुआ? पूरी कहानी कुछ यूँ है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में गारे पाल्मा कोयला खदान है. कोयला मंत्रालय ने पावर यूज के लिए शिड्यूल-2 में छह कोयला खदानें शामिल की थीं. इनमें गारे पाल्मा 4/2-3 के अलावा तालाबीरा-1, सरिसाटोली, ट्रांस दामोदर, अमेलिया उत्तरी और तोकीसुड उत्तरी शामिल हैं. इन सभी...

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बटाईदार किसानों की पुकार कब सुनेगी सरकार | P-3

ऑपरेशन राहत कामयाबी की मिसाल | P-5

ये कानून कोढ़ में खाज जैसे हैं | P-10



## फ़सल मुआवज़े को लेकर भेदभाव

बटाईदार किसानों की पुकार  
कब सुनेगी सरकार

चैत्र और बैसाख के महीने में अमूमन तेज़ पछुआ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की रफ्तार से किसानों की खुशी का काफ़ी गहरा रिश्ता है। हालांकि, पिछले दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में पुरवा हवाओं के साथ तेज़ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को निराश कर दिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की फ़सल तैयार होने पर घरों में मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन इस बार उन करोड़ों किसानों की आंखों में आंसू हैं और जेब खाली है, जिन्होंने खेतों में दिन-रात मेहनत कर बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद की थी। बेमौसम बारिश के चलते उन बटाईदार किसानों को अब यह चिंता सता रही है कि वे ज़मीन मालिक को मनठीका या नगदी कहां से देंगे। केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर भले ही किसानों के लिए राहत का ऐलान किया हो, लेकिन इसका फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास भू-स्वामित्व का दस्तावेज़ है। पेश है, देश में बटाई पर खेती करने वाले मूल किसानों की समस्याओं पर चौथी दुनिया की यह खास रिपोर्ट...



## अभिषेक रंजन सिंह

**मा**र्च-अप्रैल का महीना देश के करोड़ों किसानों के लिए कहर बनकर टूटा। खेतों में खड़ी फ़सलें बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गईं। अपनी महीनों की मेहनत बेकार जाते देख देश के करोड़ों किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किसानों की रबी की फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में लाखों हेक्टेयर खड़ी फ़सल बर्बाद हो गई। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्यसभा में दी। उनके मुताबिक, 27 लाख हेक्टेयर फ़सल का नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़सलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुआवज़ा राशि में 50 फ़ीसद इजाफ़ा करने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने मुआवज़े के मानदंडों में भी बदलाव करने का निर्णय किया है। पहले जहां 50 फ़ीसद फ़सल के नुकसान होने पर ही कोई किसान मुआवज़े का हकदार होता था, वहीं अब 33 फ़ीसद फ़सल के नुकसान पर भी उसे मुआवज़ा दिया जाएगा। किसानों पर आई इस विपदा के बाद केंद्र सरकार ने भले ही उनके लिए मुआवज़े का ऐलान किया हो, लेकिन मुआवज़े के नाम पर किसानों के साथ किस तरह भेदभाव किया जाता है, यह जानना बेहद ज़रूरी है।

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से तबाह होने वाली फ़सलों के लिए सरकारें मुआवज़े का ऐलान करती हैं, लेकिन इसका लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास भू-स्वामित्व सिद्ध करने संबंधी दस्तावेज़ होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, जिन लोगों के पास खुद की ज़मीन है, उनमें से

ज्यादातर लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं। वे अपने खेत बटाई, अधबटाई और मनठीका (मनहुंडा) पर लगा देते हैं। बटाई पर अपनी ज़मीन देने वाले किसानों को कुल कृषि लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि मनठीका (मनहुंडा) पर अपनी ज़मीन देने वाले भू-स्वामियों का एक रुपया भी खर्च नहीं होता है। ऐसे भू-स्वामी निजी व्यवस्थाओं, शहरों में प्रवास और खेती में अरुचि की वजह से अपनी ज़मीन सालाना 15-20 हजार रुपये या 10 से 15 मन प्रति बीघा अनाज पर स्थानीय छोटे या भूमिहीन किसानों को दे देते हैं। वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ उन खेतों में साल भर कड़ी मेहनत करता है, अपनी पूंजी लगाकर अनाज पैदा करता है और अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। दुर्भाग्यवश, अगर उसकी फ़सल बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो जाती है, तो ऐसे किसानों की हालत काफ़ी दयनीय हो जाती है। फ़सलों के तबाह होने पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को मिलने वाली राहत योजनाओं का सर्वाधिक लाभ भू-स्वामियों को मिलता है, न कि बटाईदार किसानों और

**केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत देश के कर्ज़दार किसानों के बावत मांगी गई एक जानकारी के विषय में मंत्रालय ने जवाब दिया कि वर्ष 2014 तक देश के 11.89 करोड़ किसानों ने 6,44,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया। वर्ष 2009-10 में किसानों पर 3,25,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ था, जो वर्ष 2012 तक 5,90,532 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी तीन वर्षों के भीतर ही किसान दो गुने कर्ज़दार हो गए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के अनुसार, देश में सर्वाधिक कर्ज़दार किसानों की संख्या आंध्र प्रदेश में है और किसानों की आत्महत्या के मामले में भी यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहां किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की संख्या 87,09,348 है। कर्नाटक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की कुल संख्या 57,11,916 है।**

## फ़सल बीमा को लेकर किसान जागरूक नहीं

**भा**रत जैसे विशाल देश में हर साल किसी न किसी तरह की प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं, जिनसे फ़सलों को काफ़ी नुकसान होता है। बीमा एक ऐसी योजना है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत मिल सकती है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि फ़सल बीमा के प्रति किसानों में जागरूकता की काफ़ी कमी है। एसोचैम और स्कायमेट के एक अध्ययन के अनुसार, देश भर में 20 फ़ीसद से भी कम किसान बीमित हैं। नतीजतन, मौसम की अनिश्चितताओं की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि देश में करीब 80 फ़ीसद किसानों को फ़सल बीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस अध्ययन में कहा गया है कि ग़ैर-बीमित किसानों में से 46 फ़ीसद तो ऐसे किसान हैं, जिन्हें फ़सल बीमा के बारे में जानकारी है, लेकिन उनकी रुचि इसमें नहीं है। 24 फ़ीसद किसानों का कहना है कि यह सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है। 11 फ़ीसद किसानों का कहना है कि वे समय पर बीमा के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए उनकी दिलचस्पी बीमा कराने में नहीं है। ■

खेतिहर मजदूरों को। बैंकों से मिलने वाले केसीसी ऋण का लाभ भी बटाई और मनठीका पर खेती करने वाले किसानों को नहीं मिलता। बटाईदार किसानों की यह समस्या देशव्यापी है। इसे लेकर देश में आंदोलन भी होते हैं, लेकिन सरकार किसानों की इस मांग के प्रति गंभीर नहीं दिखती है। इसका एक बड़ा कारण है, देश में किसान राजनीति का लगातार कमजोर होना। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों की ताकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि खुद किसानों को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, उनमें एकजुटता का अभाव है, जिसका फ़ायदा राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। पिछले महीने चौथी दुनिया का यह संवाददाता

## इन बिंदुओं पर गौर करे सरकार

- बेमौसम बारिश से तबाह हुई फ़सलों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवज़ा दिया जाए।
- गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति किंवाटल अतिरिक्त बोनास दिया जाए।
- 50 फ़ीसद फ़सल बर्बाद होने पर ही मुआवज़ा देने का प्रावधान ख़त्म करते हुए, नई मुआवज़ा नीति घोषित की जाए।
- बटाईदार किसानों के लिए सरकार विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे।
- फ़सल की बर्बादी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
- खेतों का सर्वे कर फ़सलों के नुकसान का आकलन किया जाए।
- आत्महत्या करने वाले बटाईदार किसानों के परिजनों को जोत भूमि की गारंटी दी जाए।
- तबाह हुई नगदी फ़सलों के नुकसान की भरपाई की जाए।
- किसानों का एक साल का बिजली का बिल माफ़ किया जाए।
- पांच वर्ष तक मालगुजारी (लगान) की वसूली न हो।

बिहार के खगड़िया ज़िले में था। उस समय बिहार में सरकारी स्तर पर धान खरीद रही थी। जिन किसानों के पास भू-स्वामित्व के दस्तावेज़ थे, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर नगदी बटाई, अधबटाई और मनी बटाई (मनठीका) पर खेती करने वाले किसानों को धान बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभागीय निर्देशों के मुताबिक, सरकारी धान ऋय केंद्रों पर उन्हीं किसानों का धान खरीदने का नियम है, जिनके पास मालगुजारी (लगान) की अद्यतन रसीद हो। खगड़िया ज़िले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत राटन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष फणिभूषण यादव ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की इस समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार से उनके लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की। चौथी दुनिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ज़िले में बेमौसम बारिश की वजह से फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह बटाईदार किसानों के लिए भी राहत की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी युवा

बता सकता। किसान रामू यादव ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि खगड़िया ज़िले में मक्के की सर्वाधिक खेती होती है। पिछले साल मक्के की कीमत कम रहने की वजह से किसानों को बाज़ार की मार झेलनी पड़ी। इसलिए किसानों ने काफ़ी उम्मीद के साथ गेहूं की खेती की, लेकिन इस बार उन्हें प्रकृति की मार झेलनी पड़ी। नतीजतन, ज़िले के किसान आज दौराहे पर खड़े हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य सह अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार में करीब 70 फ़ीसद किसान नगदी बटाई, मन बटाई और अधबटाई पर खेती करते हैं। ऐसे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हुई फ़सलों पर कोई मुआवज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। यह समस्या सिर्फ़ बिहार के किसानों की नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों किसानों को इससे दो-चार होना पड़ता है। उनके अनुसार, केसीसी ऋण भू-स्वामियों के अलावा, बटाईदारों को भी मिलना चाहिए। हालांकि, नाबाई की ओर से बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये केसीसी ऋण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी प्रगति काफ़ी धीमी है। ऐसे में किसानों को फ़सल बीमा महामाजनों से उंची व्याज दर पर कर्ज़ लेना पड़ता है। बेमौसम बारिश और उससे फ़सलों को हुए नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में किसान आत्महत्या की घटनाएं तो फ़िलहाल नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में ठोस पहल नहीं गई, तो बिहार भी किसान आत्महत्या का केंद्र बन सकता है।

बारिश और आंधी की वजह से रबी फ़सलों को हुए नुकसान के बारे में खगड़िया के ज़िलाधिकारी राजीव रोशन ने चौथी दुनिया से खास बातचीत में बताया कि ज़िले के सभी प्रखंडों में गेहूं, मक्का, दलहन और आम की फ़सलों को हुए नुकसान का आकलन कर उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गई है। उनके अनुसार, ज़िले में गेहूं और मक्का की 45 फ़ीसद फ़सल बर्बाद हुई है। किसानों को राहत मुहैया कराने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन किसानों को हर्सबंध मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि ऋण माफ़ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्ज़ माफ़ी का फ़ैसला अंततः सरकार को करना है, लेकिन ज़िले के किसानों पर बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए अनावश्यक दबाव न बनाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ■



## उत्तर प्रदेश

## आपदा से अधिक राहत का सद्मा



प्रभात रंजन दीन

**बे** मौसम बारिश और ओलावृष्टि से मर रहे किसानों को मुआवज़ा देने के मामले में खुद को फसला देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से प्रदेश में आपदा घोषित कर दी है और सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें राहत के काम में लग जाने का निर्देश दिया है. प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों

को पहुंचे नुकसान से किसानों को जितना सद्मा लगा है, उससे अधिक सद्मा उन्हें सरकारी मुआवज़े का चेक देखकर लग रहा है. किसानों को 50 रुपये, 70 रुपये तो कहीं सौ रुपये के चेक मुआवज़े के बतौर दिए जा रहे हैं. किसान वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस किसान प्रेम पर जब प्रदेश और देश स्तर पर प्रबल विरोध शुरू हुआ, तब राज्य सरकार ने अपनी साख बचाने का एहतियाती काम शुरू किया. अब सरकार कह रही है कि किसानों को सौ-पचास नहीं, बल्कि डेढ़ हजार रुपये देंगे. जानकार कहते हैं कि सरकार की इस पैंतरेबाजी में किसान प्रेम कहीं नहीं है, यह केवल सियासी पेशबंदी है.

चौथी दुनिया के पिछले अंकों में भी किसानों के प्रति राज्य सरकार की बेरुखी और नीकरशाही की बेजा हरकतों के बारे में खबरें छपी हैं. प्राकृतिक आपदा के शिकार किसानों को मुआवज़ा देने में किस तरह भेदभाव बरता जा रहा है और उनकी बर्बाद फसलों के एवज में प्रदेश सरकार किसानों को किस तरह भीख बांट रही है, इसे भी तथ्यों के साथ प्रकाशित किया गया है. इसके बावजूद समाजवादी सरकार की खाल पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसे तमाम नए-नए वाक्य सामने आते ही जा रहे हैं. फैजाबाद में तो किसानों को 50 रुपये, 63 और 84 रुपये तक के चेक बांटे गए हैं. राहत के ये चेक उन किसानों को दिए गए हैं, जिनकी फसल बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गई है और जो खुद मौत की दहलीज पर खड़े हो गए हैं. इन चेकों के वितरण का समाजवादी प्रेम उजागर होते ही सरकार ने लेखपालों को निर्लंबित करने की छुटभैया कार्रवाई की और उन चेकों को वापस लेकर उन्हें फिर से जारी करने का ऐलान कर अपनी झेंप मिटाई. लेकिन, सरकार के ही एक अधिकारी ने कहा कि वापस लिया हुआ चेक कभी बड़ी धनराशि के साथ वापस नहीं आएगा. शासन और प्रशासन की अराजकता का हाल यह है कि राहत राशि बांटने में भी तंत्र के बंदरों का पूरा ध्यान लगा हुआ है. इस कोशिश में कब्रिस्तानों को भी खेत घोषित कर मुआवज़े की राशि खाई-पकाई जा रही है. राहत राशि की बंदबांट के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जिसमें कब्रिस्तान के नाम पर भी चेक बना दिए गए हैं.

फैजाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साबिर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं. पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर उन्हें मात्र 100 रुपये का मुआवज़ा दिया गया. उनके लिए राहत का यह चेक प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक साबित हो रहा है.

## कृषि वसूली पर अड़े बैंक, आरबीआई का निर्देश ताक पर

**कि** सानों की तबाही को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि प्रदेश के किसानों को पूर्व की वसूली लंबित रखकर नए ऋण दिए जाएं, लेकिन बैंकों ने आरबीआई के निर्देशों को ताक पर रख दिया और ऐसे आपदाकाल में भी वसूली के लिए वे किसानों पर दबाव बना रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी प्रभावित किसानों के ऋण पुनर्निर्धारित करते हुए उन्हें नए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश बैंकों को दिए थे. प्रदेश भर के जिलाधिकारियों से भी कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि वसूली को लेकर किसानों का उत्पीड़न न हो. उल्लेखनीय है कि अतिवृष्टि-ओलावृष्टि से प्रदेश के प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 25 मार्च को प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया था.

## एक अखिलेश और एक अरविंद

**प्रा** कृतिक आपदा के शिकार उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 और 60 रुपये के चेक देकर अखिलेश यादव के राज में राहत देने की विचित्र व्यवस्था हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवज़ा देने का ऐलान करके लोगों को तुलना करने का मौका दे दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी रहेगी. यह किसी राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे अधिक मुआवज़ा है. केजरीवाल ने अन्य मुख्यमंत्रियों के सामने यह कहते हुए चुनौती भी फेंकी है कि दूसरे राज्यों की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं, जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं?

**फैजाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साबिर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं. पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर उन्हें मात्र 100 रुपये का मुआवज़ा दिया गया. उनके लिए राहत का यह चेक प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक साबित हो रहा है. रुदौली के ही एक अन्य किसान मोहम्मद शाहिद को उनकी तीन बीघा ज़मीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है. मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवज़ा मिला है.**

रुदौली के ही एक अन्य किसान मोहम्मद शाहिद को उनकी तीन बीघा ज़मीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है. मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवज़ा मिला है. ये नाम खास तौर पर इसलिए भी दिए गए, क्योंकि इन मुस्लिम किसानों को दी गई राहत राशि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण की असलियत है. अन्य जाति-धर्म के किसानों की तो बात ही अलग है. वाजिदपुर में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कभी कोई प्रशासन का आदमी, नायब तहसीलदार या

लेखपाल नहीं आया, अन्य की तो बात ही छोड़ दें. इसी गांव में प्रधान का कब्रिस्तान है, जिसमें खेती नहीं होती. इस ज़मीन को भी खेत दिखाकर आठ लोगों के नाम पर चेक बनाकर बांट दिए गए. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गांव का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी और पुष्टि भी की.

विडंबना यह है कि फैजाबाद के जिलाधिकारी का कार्यभार देख रहे सीडीओ अरविंद मलप्पा बंगारी भी चेकों के ऐसे वीभत्स-वितरण को घनघोर लापरवाही का नतीजा मानते हैं, लेकिन इससे आगे वह भी कुछ नहीं कर सकते. किसानों के साथ हुए इस खिलवाड़ पर आला अधिकारी अपनी गलती मान रहे हैं. फैजाबाद के उप-जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि फसलों के नुकसान के सर्वेक्षण के लिए लेखपालों की टीम लगाई गई थी, जिन्होंने गलती से कब्रिस्तान को भी खेत दिखा दिया और चेक काट दिए. सिंह ने कहा कि लेखपालों की बाकायदा हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट है. कब्रिस्तान की ज़मीन को खेती योग्य ज़मीन दिखाकर दिए गए चेकों की जांच कराई जा रही है. प्रशासनिक अराजकता का यह आलम है! उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की गाड़लाइन्स का कहीं कोई अनुपालन नहीं हो रहा है. एक-दो लेखपालों को निर्लंबित करने से जनता को धोखे में रखा जा सकता है, लेकिन परिदृश्य नहीं बदल सकता. यही वजह है कि राहत के नाम पर उन किसानों को भी खोज-खोज कर उनके नाम के चेक काटे गए, जो अर्सा पहले मर चुके हैं. यह प्रदेश के किसानों के साथ एक भद्रा मज़ाक है. मरहम के बजाय मज़ाक

के वितरण का मज़ाकिया पहलू यह है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार सात लाख 40 हजार किसानों के बीच अब तक 257.77 करोड़ रुपये की धनराशि बांट भी दी गई. यह कैसा वितरण हुआ होगा, उसकी भयावह कल्पना आप खुद-ब-खुद कर रहे होंगे. यह राशि बांटने के बाद अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से एक हजार करोड़ रुपये और मांगे हैं. जिस तरह सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं नेताओं-नौकरशाहों की लूट का रूटीन जरिया बनती रही हैं, उसी तरह इस बार की बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि भी मौजूदा सरकार के कई नेताओं और नौकरशाहों को समृद्ध बनाने वाली है. किसानों को 257.77 करोड़ रुपये की राहत राशि बांट दिए जाने की सूचना आधिकारिक है. इसी आधिकारिक सूचना का अगला हिस्सा यह है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सात लाख 73 हजार किसानों अब तक 308 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित कर दी है. ये दोनों सूचनाएं एक ही दिन 13 अप्रैल को जारी हुईं. अब किसानों के बीच वितरित राशि 257.77 करोड़ रुपये मानी जाए या 308 करोड़ रुपये? इसे समझने का काम हम प्रदेश में सत्ता संभालने वाले समाजवादी लाल-बुझकड़ों पर ही छोड़ दें, तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन, राहत राशि पाने वाले किसानों की संख्या का यह भ्रम भी सरकार ने ही फैलाया, जो एक ही दिन अलग-अलग गिनती बता रही है. यह सूचना प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हवाले से जारी की गई है. प्रदेश का सूचना तंत्र भी समाजवादी चाल में चल रहा है.

उस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि राहत वितरण में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह भी सरकार की उन्हीं घोषणाओं की तरह है, जो कभी अमल में नहीं लाई जाती. अखिलेश ने आपदा घोषित करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि किसानों तक राहत पहुंचाने का काम किसी भी दशा में प्रभावित न हो. बर्बाद किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कर रहे सत्ता के अलमबरदारों को किसानों की ज़मीनी हालत दिख नहीं रही और उसका आकलन करने की उनके पास कोई दृष्टि नहीं है. प्रकृति के साथ-साथ साहूकारों और बैंकों से लिए गए कर्ज उन्हें मौत का रास्ता दिखा रहे हैं. साहूकारों और बैंकों ने किसानों का जीना हाराम कर रखा है. प्रदेश का करीब-करीब प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले जिले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर बैंकों का साढ़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है. अधिकतर किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बर्बादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया. अब किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं. लाखों किसानों की ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी हुई हैं और ब्याज पर ब्याज लगते-लगते कर्ज की रकम दोगुनी-तिगुनी हो चुकी है. अकेले बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का किसानों पर तीन हजार 780 करोड़ रुपये का कर्ज है. जबकि निजी बैंकों का किसानों पर 220 करोड़ और कोऑपरेटिव, भूमि विकास एवं ग्रामीण बैंकों का 515 करोड़ रुपये का कर्ज है. इस कर्ज की अदायगी भी उन्हें इसी सीजन में करनी थी. बैंक ऋण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बुलंदशहर के किसानों पर बैंकों का 40 अरब रुपये का कर्ज है, जबकि सहारनपुर एवं मेरठ मंडल के किसानों पर 178 अरब रुपये की देनदारी बकाया है. ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों को 50 और 60 रुपये के चेक देकर अपना किसान प्रेम दर्शा रही है. ■





अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मीडिया ने इस मामले को क्यों नहीं दिखाया? क्या देश का मीडिया केवल सरकार की कमियां दिखाने के लिए है? क्या उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सरकार द्वारा किए गए अच्छे एवं साहसिक कार्यों की खबरें जनता तक पहुंचाए। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन राहत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे उसमें कुछ भी सनसनीखेज नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए, क्योंकि बचाए गए लोगों में से अधिकांश दक्षिण भारतीय गरीब, कामगार मुसलमान थे, जो रोजी-रोटी की तलाश में यमन तक पहुंच गए थे। मीडिया की नजर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। बचाए जा रहे लोगों में न कोई धनाढ्य था और न मध्यम वर्ग का, जिनके लिए मीडिया पर तथाकथित सिविल सोसायटी के लोग आवाज़ उठाते।

## ऑपरेशन राहत

# कामयाबी की मिसाल



जनरल सिंह की यमन में मौजूदगी के चलते सैन्य बलों का हौसला बुलंद था। विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, जहाजरानी, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतरीन सामंजस्य की बंदोबस्त बड़ी सहजता के साथ 10 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। एयर इंडिया ने ऑपरेशन में दो एयरबस-320 और एक बोइंग-777 विमान की तैनाती की थी। वहीं भारतीय सेना ने दो सी-17 ग्लोबमास्टर और वायुसेना ने सी-17 एस वायुयान तैनात किए थे।

### नवीन चौहान

जीव विडंबना है कि जब यमन में भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा था, उस समय भारतीय मीडिया प्रेस्टीट्यूट और प्रॉटेस्ट्यूट की बहस में उलझा हुआ था। दूसरी ओर, विदेशी मीडिया ने भारत के ऑपरेशन राहत को जगह दी और इसके अगुवा विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह की जमकर तारीफ की। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत ने बेहतरीन ढंग से बचाव कार्य की अगुवाई की और यमन में फंसे भारतीयों के अलावा 41 देशों के नागरिकों को भी बचाया। भारतीय दल द्वारा यमन से निकाले गए 960 विदेशी नागरिकों में मिस्र की 20 वर्षीय अलया गाबेर मोहम्मद भी शामिल हैं। उन्होंने खुद को यमन से निकालने के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। अलया गाबेर मोहम्मद ने कहा कि आज वह भगवान और भारतीय सेना की वजह से जीवित हैं। भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए जहाज भेजा, लेकिन उसने मानवीय निर्णय लेते हुए सभी देशों के नागरिकों को वहां से निकाला। भारत सरकार के इस निर्णय को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 20 वर्षीय अलया यमन के एक हॉटेल में काम करती थीं। उन्होंने यह बात अपनी फेसबुक वॉल पर लिखी। इसके बाद उनकी पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मिस्र के अधिकांश अखबारों एवं समाचार चैनलों ने उनकी बातों को अपने यहां प्रमुखता से जगह दी।

अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मीडिया ने इस मामले को क्यों नहीं दिखाया? क्या देश का मीडिया केवल सरकार की कमियां दिखाने के लिए है? क्या उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सरकार द्वारा किए गए अच्छे एवं साहसिक कार्यों की खबरें जनता तक पहुंचाए। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन राहत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे उसमें कुछ भी सनसनीखेज नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए, क्योंकि बचाए गए लोगों में से अधिकांश दक्षिण भारतीय गरीब, कामगार मुसलमान थे, जो रोजी-रोटी की तलाश में यमन तक पहुंच गए थे। मीडिया की नजर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। बचाए जा रहे लोगों में न कोई धनाढ्य था और न मध्यम वर्ग का, जिनके लिए मीडिया पर तथाकथित सिविल सोसायटी के लोग आवाज़ उठाते। या फिर मीडिया जानबूझ कर यह खबर लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल से भी कम के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सोशल मीडिया में लोग कह रहे थे कि यह निर्गांधक नेतृत्व है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में भी विश्वस्तरीय नेता और नेतृत्व है। लेकिन,



मीडिया जनरल वीके सिंह के टवीट को लेकर बाल की खाल निकालने में उलझा रहा और लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकता रहा।

यमन में भारत ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यानी ऑपरेशन राहत चलाकर दुनिया को सकंते में डाल दिया और यह साबित किया कि गृहयुद्ध से जुड़ा रहे देश से लोगों को सफलतापूर्वक और सकुशल बचाकर लाया जा सकता है। हालांकि, यमन में भारत के अलावा सात अन्य देश, जिसमें चीन, रूस एवं पाकिस्तान आदि भी शामिल हैं, बचाव कार्य में लगे थे। अमेरिका, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे देशों ने भारत से यमन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने का आग्रह किया। जिन 41 देशों के 960 नागरिकों को भारतीय दल ने बचाया, वे सभी भारत की ओर बहुत आशा और विश्वास से देख रहे थे। भारत ने किसी को भी निराश नहीं किया। यहां सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका सहित नाटों के सदस्य देशों को अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत की ओर देखा पड़ा। अमेरिकी सेना अभी भी इराक और अफगानिस्तान में मौजूद है। बावजूद इसके, वह यमन में फंसे अपने नागरिकों की मदद नहीं कर सकी और उन्हें वहां से बाहर निकालने में असमर्थ नजर आईं। ऐसे में इन सभी देशों ने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन राहत की ओर रुख किया और अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने का अनुरोध किया। अमेरिका ने यमन में फंसे अपने नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा कि भारत सना से जिबूती तक अमेरिकी नागरिकों को पहुंचाने में मदद करेगा। भारत यमन में फंसे भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को बचाने में सफल हुआ। इससे एक वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत के कद में इजाफा हुआ है, जिसका असर सीधे तौर पर भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे पर पड़ेगा।

25 मार्च को यमन में हवाई हमले शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान से फोन पर बात की और अपने नागरिकों को यमन से सुरक्षित वापस निकालने के लिए सहयोग मांगा। इसके बाद 31 मार्च को भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री एवं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन राहत की कमान देकर यमन भेजा। यह पहला मौका था कि ऐसे ऑपरेशन की कमान किसी केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई हो। जनरल सिंह ने 10 दिनों तक यमन में रहकर लोगों को वहां से सकुशल बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जनरल सिंह ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद लौटकर बताया कि वहां कई तरह की समस्याएं समाधान आईं। एक जगह किसी समस्या का समाधान हो जाता था, तो

कहीं और समस्या खड़ी हो जाती थी। ऐसे में काम कर रही सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पाना बेहद जटिल था। सना के एयरपोर्ट पर हौती आतंकीयों का कब्जा था, लेकिन एयर कंट्रोल सऊदी अरब के नियंत्रण में था। भारत सरकार ने यमन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राजधानी सना में रोज़ाना हवाई जहाज उतारने के लिए अनुमति मांगी।

जनरल सिंह की यमन में मौजूदगी के चलते सैन्य बलों का हौसला बुलंद था। विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, जहाजरानी, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतरीन सामंजस्य की बंदोबस्त बड़ी सहजता के साथ 10 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। एयर इंडिया ने ऑपरेशन में दो एयरबस-320 और एक बोइंग-777 विमान की तैनाती की थी। वहीं भारतीय सेना ने दो सी-17 ग्लोबमास्टर और वायुसेना ने सी-17 एस वायुयान तैनात किए थे। यमन में सैनिक जहाजों को उतारने की अनुमति नहीं थी। इसलिए भारत ने इसके लिए अपने सी-17 ग्लोबमास्टर

### कब, कैसे, क्या हुआ

- 31 मार्च, 2015 को ऑपरेशन राहत प्रारंभ।
- 09 अप्रैल को मिशन पूरा।
- 5,600 लोग सुरक्षित निकाले गए।
- 4,640 भारतीय, 960 विदेशी।
- 41 अन्य देशों के नागरिक बचाए गए।
- 2,900 लोग राजधानी सना से विमान द्वारा निकाले गए।
- 2,700 लोग युद्धपोतों के ज़रिये बचाए गए, जिन्हें अदन, अल-हुदायदाह और अल-मुकल्ला नामक शहरों से निकाला गया।
- 18 विशेष उड़ानों के ज़रिये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

एयरपोर्ट का उपयोग किया, जिन पर गोलियों और छोटे हथियारों का असर नहीं होता है। उनकी मदद से हर दिन लोगों को सना से जिबूती पहुंचाया गया, वहीं नौसेना ने भी लोगों को अदन से जिबूती पहुंचाया, जहां से उन्हें भारत के लिए रवाना किया गया। नौसेना ने आईएनएस मुंबई, आईएनएस तर्कश, आईएनएस सुभित्रा जैसे जहाज ऑपरेशन में तैनात किए थे।

बचाव दल के लिए वहां काम कर रही एजेंसियों के साथ समन्वय बना पाना सबसे बड़ी परेशानी थी। एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन वहां के एयर स्पेस को सऊदी अरब कंट्रोल कर रहा था। ऐसे में एयरपोर्ट पर लैंड करना और तब समय सीमा के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालना एक बड़ी समस्या थी। वहां भी लोग किसी एक जगह एकत्र नहीं थे। एक समय सीमा के अंदर ही सिर्फ जा सकते थे और उसके बाद भारतीयों तक खबर पहुंचाना। जनरल वीके सिंह के वहां मौजूद रहने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि समस्याओं की सही समीक्षा करके उन पर त्वरित फ़ैसला ले लिया गया। आखिरी दिन सना में एयरक्राफ्ट उतारने की अनुमति नहीं थी और वहां लोग फंसे हुए थे। ऐसे में जनरल सिंह को फ़ैसला लेना था कि छह सौ लोगों को वहां से निकाला जाए या वापस लौट जाया जाए। उस दिन हवाई अड्डे पर और कोई नहीं बचा था। जो लोग बचे थे, उनमें 140 विदेशी नागरिक थे। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जोखिम लिया, जो जायज था।

राहत अभियान की निगरानी के लिए जनरल सिंह जिबूती में डेरा डाले रहे। पहले दो दिनों तक सऊदी अरब से सना जाने की अनुमति नहीं मिली। फिर सरकार ने उनसे वहां अपने सैन्य जहाज ले जाने की बात कही। इसके बाद जब जनरल वीके सिंह सना गए और उन्होंने

यमन के अधिकारियों से बातचीत की, तो बताया गया कि एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा है। उन्हें यह नहीं मालूम कि जो जहाज वहां उतर रहा है, वह अमेरिका का है, भारत का है या सऊदी अरब का है। यदि वहां गोलीबारी होती है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में लोगों को वहां से निकालने के लिए सैन्य जहाजों की जगह एयर इंडिया के विमानों को सना ले जाया गया। भारत सरकार ने पहले से ही दो विमान ओमान में तैयार कर रखे थे, जिन्हें सना ले जाया गया और वहां से लोगों को जिबूती लाया गया। लोगों को वहां से निकालने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या इमीग्रेशन की थी। यमन से वापस आते वक्त एक्जिट वीजा की ज़रूरत होती है, जो वहां की इमीग्रेशन ऑथॉरिटी जारी करती है। एक मामला तो ऐसा था कि एक शख्स वहां विजिट वीजा पर गए थे और छह साल ज़्यादा रुक गए। इमीग्रेशन अधिकारियों ने कहा कि वे उसे कैसे एक्जिट वीजा दे सकते हैं? ऐसे में उन अधिकारियों को मनाना पड़ा। भारतीय दूतावास और जनरल वीके सिंह को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा एक समस्या यह थी कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एडवाइजरी जनवरी में खत्म हो चुकी थी और लोग अंतिम समय तक हालात सुधरने का इंतज़ार करते रहे। जब हालात बेकाबू हो गए, तो लोग एक साथ बड़ी संख्या में यमन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। जबकि एक बार में सीमित संख्या में ही लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। ऐसे में किसी तरह विमानों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठकर यमन से बाहर निकाला गया।

नब्बे के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान हुए बचाव कार्य और इस बचाव कार्य में एक बड़ा फ़र्क था। इराक द्वारा कुवैत पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी हमले की आशंका के उस दौर में इराक में रह रहे दूसरे देशों के लोगों को निकालने में इराकी प्रशासन भी मदद कर रहा था, लेकिन यमन में इराकी प्रशासन भी मदद कोई चीज नहीं बची थी। राष्ट्रपति हादी ने सऊदी अरब में शरण ले रखी है। ऑपरेशन राहत ने हमारी सेनाओं के शौर्य और कौशल के अलावा भारत की कूटनीतिक शक्ति भी रेखांकित की है। इससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि मध्य-पूर्व को लेकर हमारी तटस्थता की नीति बिल्कुल सही है और हमें इसी दिशा में चलते रहने की ज़रूरत है। सऊदी अरब से हमारे मधुर संबंध काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के शासक शाह सलमान से लगातार संपर्क में रहे। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियां अमेरिका और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों की मदद से हर पल की जानकारी भारतीय टीम को देती रहीं, जिससे बिना किसी नुकसान के यह ऑपरेशन सफल हो सका। भारत सरकार ने इराक में फंसे भारतीयों को निकालने में हुई परेशानियों से सबक लिया था। इस बार उसने सही वक्त पर सही फ़ैसला लिया और एक केंद्रीय मंत्री को इस अभियान में लगाया, ताकि मौके पर ही आकस्मिक फ़ैसले लिए जा सकें। इसका फ़ायदा भी साफ तौर पर नज़र आया। ऐसे मामलों को नीकशाहों के भरसे छोड़ देने से कई चीजें ऐन मौके पर अटक जाती हैं। ऑपरेशन राहत को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। आने वाले समय में यह भारत के वैश्विक शक्ति बनने की राह में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ■





दरअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे रेगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई. समान रेगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को हट कर दिया है और मीडिया रिपोर्टों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है. नतीजतन, वित्तीय वर्ष के मौजूदा तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है. इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं.

# सोना आयात कम करने की राह में रुकावटें



वी के शर्मा

वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से स्वर्ण आयात कम करने की बात स्वीकार की. दरअसल, लगभग 30 वर्षों से चालू खाते के घाटे का एकमात्र कारण स्वर्ण आयात ही रहा है. यह घाटा वित्तीय वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7

प्रतिशत था, जिसमें स्वर्ण आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक था.

इसका मुख्य कारण यह था कि मौजूदा आयात विनियमन (आरबीआई का फेमा मास्टर सर्कुलर) में स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं (जिनमें आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं) के मुकाबले अधिक तरजीह दी गई है. इस विनियमन में स्वर्ण आयात की अनुमति तीन बुनियादों पर दी गई है : 1. कन्साइनमेंट के आधार पर 2. निर्धारित मूल्य के आधार पर 3. धातु-लोन के आधार पर. ऐसी प्राथमिकता से विदेश से सोना भेजने वाले के लिए स्वर्ण आयात से संबंधित मूल्य और मुद्रा का जोखिम समाप्त हो जाता है और इसका सारा जोखिम सोने के गहने खरीदने वालों पर आ जाता है. यह स्थिति कोयला, खाद्यान तेल के लिए नहीं होती, क्योंकि यह वस्तुएं सीधे तौर पर आयात की जाती हैं. लिहाजा, मई दिसम्बर 2012 में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. सुब्बाराव और मौजूदा गवर्नर डॉ. रघुराम राजन को सुझाव दिया था कि स्वर्ण और दूसरी वस्तुओं का आयात फेमा के प्रावधानों के मुताबिक किया जाए. दरअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे रेगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई. समान रेगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को हट कर दिया है और मीडिया रिपोर्टों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है. नतीजतन, वित्तीय वर्ष के मौजूदा तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है. इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं.

भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हर साल 800 से 1000 टन स्वर्ण का आयात करता है. हालांकि भारत का स्वर्ण का कुल स्टॉक 20000 टन है, लेकिन इस स्वर्ण का न तो व्यापार होता है और न ही इसे मुद्रिकृत किया गया है. इसलिए मेरे हिसाब से :

(क) एक स्वर्ण मुद्रिकरण योजना (गोल्ड मोनीटाइज़ेशन स्कीम) लागू करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मेटल लोन योजना का स्थान लेगा. नई स्कीम के तहत स्वर्ण जमाकर्ता अपने मेटल (धातु) एकाउंट्स पर ब्याज हासिल करेगा और लोन भी हासिल कर सकता है.

(ख) इसके अतिरिक्त स्वर्ण खरीदने के विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक वित्तीय सम्पत्ति (सरकारी गोल्ड बॉन्ड के रूप में) विकसित की जाए. इस बॉन्ड पर एक सीमित ब्याज निर्धारित होगा और स्वर्ण के बाज़ार भाव के मुताबिक कभी भी मुद्रा में भुनाया जा सकेगा.

(ग) अशोक चक्र वाला स्वर्ण का भारतीय सिक्का ढाला जाए. इस तरह के स्वर्ण का भारतीय सिक्का विदेशों में ढाले गए सिक्कों की मांग को कम कर देगा. साथ ही देश में उपलब्ध स्वर्ण को रीसायकल करने में

भी सहायक होगा.

प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम अपनी डिजाइन और तर्क में बिल्कुल गोल्ड इटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की तरह है. अंतर केवल इतना होगा कि गोल्ड इटीएफ ब्याज नहीं देता, लेकिन डीमेट फॉर्म (अभौतिक रूप) में रखे गए स्वर्ण के निवेश से हासिल रिटर्न निवेशक को अदा करता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सभी 14 गोल्ड इटीएफ 40-50 टन से अधिक स्वर्ण नहीं रखते, जो वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताए गए कुल 800-1000 टन आयातित स्वर्ण का केवल 5 प्रतिशत है. लिहाजा, गोल्ड इटीएफ धातु की मांग को हट नहीं कर पाता और इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण धातु निवेशकों के लिए सोने की मांग का एक विकल्प बन जाता है. इस प्रस्तावना की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि स्वर्ण का मूल्य 70 के दशक के आखिरी वर्षों में सबसे अधिक 850 डॉलर प्रति ओज (आउंज़) से घट कर 90 के दशक में 270 डॉलर प्रति ओज और फिर सितम्बर 2011 में सबसे अधिक 1920 डॉलर पर पहुंच गया. स्वर्ण की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. इसके पीछे तर्क यह है कि अगर हम एक बार फिर यह मान लें कि गोल्ड बॉन्ड 1000 टन स्वर्ण आयात की मांग के बराबर होगा, तो बॉन्ड भुनाने के समय इसका कुल घाटा 25 अरब डॉलर होगा. यही नहीं, सरकारी गोल्ड बॉन्ड के बड़े निवेशक की वजह से स्टॉक मार्केट में इनकी कीमतों में परिपक्वता के समय तेज़ी से वृद्धि करवा सकते हैं. इसकी वजह से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

फरवरी 2013 में कॉमोडिटी एक्सचेंज के किसी विशेषज्ञ ने ऊपर बताए गए गोल्ड बॉन्ड जैसे ही एक बॉन्ड का प्रस्ताव रखा है. उनका प्रस्ताव है कि सरकारी गोल्ड बॉन्ड से प्राप्त राशि का निवेश बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं में किया जाए और बॉन्ड का लाभ धारक को बिना मूल्य जोखिम के या घाटे के दिया जाए. मूल्य जोखिम को कम करने के लिए गोल्ड कॉल ऑप्शन (यानी स्वर्ण खरीदने का विकल्प) खुला रखना चाहिए, लेकिन स्वर्ण खरीदने का यह विकल्प, जिसमें 1000 टन वार्षिक स्वर्ण आयात की मांग की आवश्यकता होती है, सिद्धांत रूप से तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में प्रभावकारी नहीं है. यह सरकार पर भी उतना ही लागू होता है, जो स्वर्ण की मूल्य वृद्धि के जोखिम को स्वर्ण वायदा खरीद कर कम करना चाहती है. खरीद का विकल्प और स्वर्ण वायदा दोनों का जोखिम कम करने का अनुपात 1 होगा, जिसका मतलब होगा कि 1000 टन स्वर्ण की मांग होगी और यह मांग सरकारी बॉन्ड के बजाए स्वर्ण धातु बाज़ार से पूरी होगी, जिसके लिए स्वर्ण आयात करना पड़ेगा. यह वायदा कारोबार, जोखिम में कमी और मूल्य निर्धारण का बुनियादी सिद्धांत है, जो एक मूल्य के आधार पर संचालित होती है. दूसरे शब्दों में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर कोई संपत्ति है, जो गोल्ड बॉन्ड का प्रतिलाभ देने के योग्य है, तो वह है गोल्ड यानी स्वर्ण. लिहाजा, प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड वास्तविक नहीं हो सकता.

अब दूसरे बजट प्रस्ताव यानी 20000 टन घरेलू स्वर्ण भंडार के तथाकथित मुद्रिकरण का रुख करते हैं, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल सही कहा कि न तो इसका व्यापार हुआ है और न ही मुद्रिकरण.

पूरी दुनिया के स्वर्ण भंडारों और न्यूयॉर्क, लन्दन, सिंगापुर और हांगकांग के कर्जदाता बाज़ार की खास बात यह है कि उधार स्वर्ण की मांग मंदड़िया बिक्री (शॉर्ट सेलिंग) करने वालों और बड़े स्वर्ण खनिकों की तरफ से आती है. विशेष रूप से मंदड़िया बिक्री की उत्पत्ति सट्टेबाजों, बचाव कोष (हेज फंड) और अन्य लोगों द्वारा स्वर्ण भाव में गिरावट पर सट्टा लगाना, ताकि इसकी वजह से कम कीमत पर स्वर्ण खरीद कर लाभ कमाया जा सके, लेकिन मंदड़िया बिक्री में एक तरह का अनुशासन होता है, इसलिए मंदड़िया बिक्री में देने के लिए बिक्रेता को आवश्यक रूप से स्वर्ण धातु उधार



लेना पड़ता है, जिसकी भरपाई कुछ समय बाद स्वर्ण की पुनः खरीद के बाद हो जाती है.

स्वर्ण धातु की मंदड़िया बिक्री की एक और वजह बाज़ार के भागीदारों द्वारा नकदी वायदा कारोबार में शामिल होना है. यह उस वक्त होता है, जब स्वर्ण वायदा मौजूदा बाज़ार भाव से सस्ता होता है. इसमें वे सस्ता स्वर्ण वायदा (फ्यूचर गोल्ड) खरीदते हैं और हाज़िर बाज़ार (स्पॉट मार्केट) में बेच देते हैं और फिर हेज मार्केटिंग के जरिया परिपक्वता पर बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाते हैं. इस तरह का व्यापार उस वक्त तक जारी रहता है, जब तक मूल्य में फर्क बना रहता है. चूंकि पूरी दुनिया में ऐसे उधार स्वर्ण की बहुत अधिक मांग है, इसलिए इसकी आपूर्ति बैंकों में जमा या लोन मार्केट के स्वर्ण से होती है. बैंकों में जमा और उधार दर लागू होते हैं, जिसे गोल्ड लीज रेट कहते हैं. दूसरी तरफ जब बाज़ार का भाव ऊपर चढ़ता है, तो स्वर्ण का भाव भी उपर चढ़ता है. ऐसे समय में उधार स्वर्ण की मांग आमतौर पर कम रहती है, इसलिए गोल्ड लीज रेट भी कम रहता है. यह गोल्ड लीज रेट सिद्धांत रूप में मुद्रा ब्याज दर का मामूली हिस्सा होता है. फिलहाल यह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 1 साल में क्रमशः 0.09 प्रतिशत, 0.11 प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत रहा है.

जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि मंदड़िया बिक्री और बॉन्ड के क्रय-बिक्री करने वाले के आलावा एक और प्रकार का स्वर्ण धातु का कर्जदाता होता है, जो बड़े स्वर्ण खनिक होते हैं. ये लम्बी अवधि तक स्वर्ण उधार लेते हैं, ताकि उसे बाज़ार में बेच सकें और उससे हासिल पूंजी को नये खदान में लगा सकें. सोने के मूल्य से संबंधित प्राकृतिक हेज बना सकें, जिसमें मूल्य वृद्धि का कोई जोखिम भी नहीं हो.

उल्लेखनीय रूप से सोनार को स्वर्ण उधार देने को स्वर्ण धातु ऋण कहना विरोधाभासी है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर स्वर्ण की खरीद-बिक्री है. जमा करने और कर्ज के लेन-देन में जो भी उधार लिया जाता है, उसे वापस में यह सारी चीज़ें नहीं हैं. ऊपर लिखित कारणों से सरकारी गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मुद्रिकरण योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी. दरअसल, जो क्रमद कारगर हो पाएगा, वह है वर्ष 2013-14 में आरबीआई द्वारा लागू किए गए स्वर्ण आयात के लिए भी दूसरी वस्तुओं की तरह समान शर्तें लागू की जाएं और स्वर्ण का आयात कन्साइनमेंट के आधार पर, अनिर्धारित मूल्य के आधार पर और धातु लोन के आधार पर बंद किया जाए. ■

(लेखक रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं)







कुछ रोग के लिए बनी अवधारणा के लिए केवल समाज या कानून बनाने वाले लोगों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। क्योंकि यह छुआछूत से फैलने वाली एक लाइलाज बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति अपंग भी हो जाता है। इसी खतरे की वजह से कुछ रोगी को समाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कुछ रोग जो कुछ वर्ष पहले तक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी अब इसका पूर्णतः इलाज संभव है। इसलिए इस बीमारी को कलंक के तौर पर देखने की अवधारणा पर भी पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसी वजह से बेकार और बेमतलब कानूनों को कानून की किताब से खत्म करने की शिफारिश करने के लिए पूर्व न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता में गठित 20वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट नंबर 256 में कुछ रोग से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों की पहचान की है, जो अब बेकार हो चुके हैं।

शाफिक आलम feedback@chauthiduniya.com

**को** द या कुछ एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हमारे माथे पर बल पड़ जाना कोई असामान्य बात नहीं है। यदि कोई बदनसीब एक बार इस बीमारी से ग्रसित हुआ तो जैसे उसके जीवन पर पूर्ण विराम लग जाता है। उसे या तो गांव और आबादी से दूर अलग-थलग जगह पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। बात सिर्फ यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी। चूंकि हिंदुस्तान में बीमारियों को एक कलंक के तौर पर देखा जाता है, इस वजह से इंसान की जानकारी में सबसे प्राचीन बीमारी होने के कारण सबसे अधिक कलंकित रोग कुछ ही है। इससे संबंधित आम अवधारणा यह है कि पीड़ित व्यक्ति ने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई न कोई पाप ज़रूर किया है, जिसकी सजा उसे कुछ रोग के रूप में मिली है। हमारे समाज का अफसोसजनक पहलू यह भी है कि हम बीमारियों के नाम का इस्तेमाल फिकरे कसने, किसी को निचा दिखाने या किसी को कोसने लिए भी करते हैं। हमारी आम बोल-चाल की भाषा में कई ऐसे मुहावरे शामिल हैं जो इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, जैसे कोढ़ी होना या समाज का कोढ़ होना, और तो और हमारे शायरों ने भी इसे नहीं बख्शा मसलन कुली कुतुब शाह कहते हैं: नहीं इश्क जिसे वो बड़ा कोढ़ है / कहीं उससे मिल बैसिया जाये ना। और सोने पर सुहागा यह कि देश के कानून की किताब में कुछ ऐसे कानून दाखिल कर लिए गए हैं जो कुछ रोगी को संक्रमण लगते ही उसे आम आदमी से विशेष आदमी का दर्जा दे देते हैं।

# ये कानून कोढ़ में खाज जैसे हैं



आयोग ने कई पर्सनल लॉ में बदलाव करने और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1)(4), मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 (6), भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(4), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 (जी) और हिंदू दत्तक-ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 18 (2)(सी) के मुताबिक पति पत्नी में से कोई भी यदि कुछ रोग ग्रसित है तो यह तलाक का आधार हो सकता है। कानून की किताब में इन कानूनों को शामिल करने की जो सब से खास वजह थी, वह थी इस रोग के फैलाव को रोकने की। अब जबकि यह रोग लाइलाज नहीं रहा तो इन कानूनों का कोई औचित्य ही नहीं है। दरअसल इनके बने रहने से कुछ रोगियों के प्रति जो पूर्वाग्रह समाज में बने हुए हैं, वह कभी समाप्त नहीं होंगे। उसी तरह से भीख मांगने के कानून हैं। जिनके मुताबिक अगर कुछ रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो कुछ रोगी और उससे संबंधित व्यक्ति को उनके लिए बने कुडालय के हवाले कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कानूनी सेवा अधिनियम 1987, मोटर वाहन अधिनियम 1988, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का विधेयक 2014, राज्य नगर निगम और पंचायती राज्य अधिनियमों के भेद-भाव पूर्ण प्रावधानों में संशोधन की शिफारिश आयोग ने पेश की है।

अंत में आयोग ने इस संबन्ध में एक नया विधेयक लाने और इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें सामान्य जीवन गुजारने में मदद देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। जिसमें भेद-भाव खत्म करने, भूमि का अधिकार देने, रोजगार हासिल करने का अधिकार देने, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने, पूर्वाग्रह से ग्रसित भाषा समाप्त करने और आजादी से कहीं आने-जाने और इलाज में रियायत देने और सामाजिक चेतना को जगाने का सुझाव दिया है। ज़ाहिर है जब दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं तो भारत को भी इस बीमारी से जुड़ा रहे लोगों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाने चाहिये। यह और अधिक ज़रूरी इस लिए भी हो जाता है क्योंकि विधि आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले वर्षों में इस रोग में गिरावट तो आई है लेकिन आज भी विश्व के 58 प्रतिशत रोगी भारत में पाए जाते हैं, जो शर्मनाक भी है और चिंता जनक भी। राष्ट्रीय कुछ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के मुताबिक भारत में हर साल कुछ रोग के 1.25 से 1.35 लाख नये मामले सामने आते हैं, और उनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है। कुछ से सम्बंधित कानूनों कि वजह से वे बहुत कम आयु में ही भेद भाव के शिकार हो जाते हैं। हालांकि कुछ रोग से ग्रसित व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारने की राह में सामाजिक रवैया सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इस संबंध में आयोग द्वारा चिन्हित किये गए कानून से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कानून कोढ़ में खाज के जैसे हैं।

**National Leprosy Eradication Programme (NLEP)**

"Leprosy work is not merely medical relief, it is transforming frustration of life in to joy of dedication, personal ambition into selfless service"

दरअसल कुछ रोग के लिए बनी अवधारणा के लिए केवल समाज या कानून बनाने वाले लोगों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। क्योंकि यह छुआछूत से फैलने वाली एक लाइलाज बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति अपंग भी हो जाता है। इसी खतरे की वजह से कुछ रोगी को समाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कुछ रोग जो कुछ वर्ष पहले तक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी अब इसका पूर्णतः इलाज संभव है। इसलिए इस बीमारी को कलंक के तौर पर देखने की अवधारणा पर भी पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसी वजह से बेकार और बेमतलब कानूनों को कानून की किताब से खत्म करने की शिफारिश करने के लिए पूर्व न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता में गठित 20वें

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट नंबर 256 में कुछ रोग से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों की पहचान की है, जो अब बेकार हो चुके हैं। आयोग ने इन भेद-भाव से पूर्ण कानूनों में संशोधन करने और निरस्त करने का सुझाव रखा है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से कुछ रोग से संबंधित भेद-भाव को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस रोग से ग्रस्त रोगियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भी सुझाव दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का भारत भी हस्ताक्षरी है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों

में संशोधन या उन्हें रद्द करने या भेद-भाव दूर करने के लिए नए कानून बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। हालांकि 20वें विधि आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट नंबर 249 में इस कुछ रोग अधिनियम, 1898 को रद्द करने की सिफारिश की थी लेकिन यह कानून अभी तक बरकरार है, जबकि कई राज्यों ने इस कानून को निरस्त कर दिया है। यह कानून भिखारी और गरीब कुछ रोगियों का इलाज करने, उन्हें अलग-थलग रखने और समाज से बाहर करने का अधिकार देता है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कानून जिन परिस्थितियों में बनाया गया था, अब वह परिस्थितियां बिलकुल बदल गई हैं, लिहाज़ा इसकी अब ज़रूरत नहीं है।

# नाजियों को दी मनोवैज्ञानिक शिफाई



रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई। जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया। इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में संध लगाई जा सकती थी। उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया।

अरुण तिवारी feedback@chauthiduniya.com

**म** हिला जासूसों की अपनी इस श्रृंखला में हमने इसके पहले ऐसी कई जासूसों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जिन्होंने अपनी बहादुरी का जलवा दुश्मनों के समक्ष रणश्रेत्र में किया था। इस अंक में हम आपका परिचय एक ऐसी महिला से कराएंगे जिसने नाजियों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग की कमान संभाली थी और उन्हें पटकनी दी थी। उनका नाम था बारबरा लावर्स। बारबरा ने इटली में रहते हुए अमेरिकी मोरेल ऑपरेशन की कमान संभाली थी। मोरेल ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते थे जिनमें शत्रु को सीधे युद्ध में परास्त करने की बजाए उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। बारबरा ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। बारबरा का जन्म 22 अगस्त 1914 को ब्रानो में हुआ था जो उस समय ऑस्ट्रिया-हंगरी राजतंत्र का हिस्सा था। बड़ी होकर वे एक वकील बनीं और द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले उन्होंने पत्रकारिता के पेशे को अपना लिया था। बारबरा शादी के बाद बेलजियन कांगो चली गईं और जैसे-जैसे विश्व युद्ध की विभीषिका बढ़ती गई तो दंपति ने अमेरिका की तरफ रुख किया। पर्ल हार्बर पर हुई बमबारी के बाद बारबरा के पति ने सेना ज्वाइन कर ली। वहीं बारबरा ने चेक दूतावास में नौकरी कर ली। लेकिन जल्दी ही उन्होंने भी सेना की खुफिया शाखा ज्वाइन कर ली और अपनी सेवाएं देने के लिए रोम चली गईं। रोम में बारबरा ने नाजी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक चालें चलना शुरू कीं।

रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई। जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया। इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में संध लगाई जा सकती थी। उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने इटली के उन सभी इलाकों में हिटलर के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाना शुरू किया, जिन इलाकों पर



मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था। लोगों वहां के लोगों में हिटलर के खिलाफ कई तरह की गलत जानकारियां देना शुरू कर दिया। जिससे लोगों में हिटलर के खिलाफ अधिक डर बैठ जाए और वो उसे और अधिक नापसंद करना शुरू कर दें। बारबरा ने वहां पर लीग ऑफ लोनली वॉर युमेन नाम की संस्था भी बनाई थी। यह एक छद्म संस्था थी जिसका निर्माण नाजी सैनिकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसके जरिये बारबरा नाजी सैनिकों की पत्नियों की तरफ से छद्म चिट्ठियां लिखवाया करती थीं। इन चिट्ठियों में यह लिखा होता था कि नाजी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए अपने अधिकारियों से झगड़ने लगे। अधिकारियों के लिए इस स्थिति से निपटना मुश्किल होने लगा। सबसे मजेदार बात तो यह हुई कि उनके इस ऑपरेशन की वजह से एक बार वॉशिंगटन पोस्ट अखबार भी बेवकूफ बन गया था। अखबार को यह खबर लगी कि कई जर्मन सैनिक अपने घर गए हुए हैं तो उसने यह खबर छाप दी कि जर्मन सैनिक अपनी महिला मित्रों की तलाश में इटली के फ्रंट से वापस अपने देश गए हुए हैं। ये सैनिक अपने रिश्ते बचाने

के लिए घर गए हुए हैं क्योंकि उनकी पत्नियां उनसे बेवफाई कर रही हैं। दरअसल यह खबर अखबार को इटली में ही एक सर्कुलर से मिली थी जिसे जर्मन सैनिकों के लिए लिखा गया था। लेकिन वास्तविकता में वह सर्कुलर तो बारबरा ने लिखा था और जर्मन बंदियों से बंटवाया था। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार तक का चक्कर में पड़ जाना बारबरा के इस ऑपरेशन की कामयाबी को बयान करता है। बारबरा ने एक और ऑपरेशन को कामयाब बनाया था जिसके लिए उन्हें ब्रान्ज़ क्रॉस दिया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान बारबरा ने सैनिकों की एक टुकड़ी के दिमाग में ऐसी विरोधी बातें भरी थीं कि इन सैनिकों ने जर्मन सेना का साथ देने से इंकार कर दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो वे वापस अमेरिका लौट गईं। इसके बाद भी वे कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं। सामाजिक कार्यों के प्रति उनके मन में रुझान पूरी जिंदगी रहा। साल 2009 में उनकी मौत हो गई। दरअसल बारबरा ने समाज से कुरीतियों को खत्म करने को भी अपनी जिम्मेदारी माना और कई काम किए।



चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

# प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा सफलता के नए सोपान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के साथ जो साझेदारी स्थापित किया, वह एक मिशाल है। आतंकवाद, रेलवे, सामरिक और अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में पीएम ने इन विकसित देशों से भारत के लिए जो निवेश आकर्षित किया, उससे आनेवाले समय में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नये सोपान तय करेगा, यह तय है।



## राजीव रंजन

**फ्रां**स, जर्मनी और कनाडा, ये तीनों देश जी-7 देश हैं तथा औद्योगिक लोकतंत्र भी हैं। इन देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने में भारत का बड़ा आर्थिक हित है। वे हमारे अनेक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए फिट बैठते हैं। वे लोकतांत्रिक देश भी हैं। इसलिए, इस मायने में उनके साथ हमारा एक बड़ा राजनीतिक तालमेल भी है। फ्रांस के साथ हमारे संबंध परंपरागत रूप से रक्षा, अंतरिक्ष एवं परमाणु के क्षेत्र में रहे हैं तथा ये तीनों इस संबंध के प्रमुख आयाम हैं। जहां तक रक्षा क्षेत्र का संबंध है, फ्रांस की कंपनियों इसमें बहुत सक्षम और अनुभवी हैं। भारत और फ्रांस के बीच 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रांस आने वाले समय में भारत में 2 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। साथ ही वह भारत के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगा। नागपुर और पॉन्डिचेरी इस लिस्ट में शामिल हैं। मोदी को एक और सफलता हाथ लगी है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद को आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए राजी कर लिया है। मोदी ने कहा है कि फ्रांस की कंपनी रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोग करेगी और भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी। मोदी ने बताया कि भारत फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदेगा। भारत-फ्रांस सामरिक संबंधों को नये स्तर पर ले जाते हुए मोदी और ओलांद ने महाराष्ट्र में रुकी हुई जैतापुर परमाणु परियोजना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति व्यक्त की। मेक इन इंडिया को मुख्य विषय मानते हुए दोनों पक्षों ने असेन्य परमाणु, शहरी विकास, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में करीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जैतापुर परियोजना से करीब 10 हजार मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन होगा। फ्रांस ने भारत को अपने उस निर्णय के बारे में सूचित किया, जिसमें भारतीय पर्यटकों के लिए 48 घंटे में शीघ्र वीजा देने की योजना लागू करने की बात कही गई है।



दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से ग्रहों से संबंधित अभियान पर आगे बढ़ेंगे।

अगर हम जर्मनी की बात करें, तो भारत का पूरा फोकस विनिर्माण पर होगा। जर्मनी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माता के रूप में माना जाता है। वास्तव में, हन्नोवर फेयर से हमें जर्मनी की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों की मैच मेकिंग का अवसर प्राप्त भी हुआ। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि जर्मनी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास कार्यक्रम है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। जर्मन कार्यक्रम का तीसरा बड़ा पहलू यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में वर्चस्व की उनकी स्थिति पर हम आस लगाए बैठे हैं। जर्मनी के

हन्नोवर में इस साल हन्नोवर फेयर है, जो भारतीय कंपनियों के निवेश की तलाश के लिए माकूल समय और जगह प्रदान करता है। हन्नोवर को इस वजह से चुना गया है कि हन्नोवर मेस्से, जो इस साल हन्नोवर फेयर है, में हम पार्टनर कंटी हैं। वहां हमारी भारतीय कंपनियों की बहुत बड़ी उपस्थिति है।

प्रधानमंत्री जी की कनाडा यात्रा भी काफी अहमियत रखती है, क्योंकि चालीस साल बाद यह कनाडा की प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री के स्तर पर पिछली यात्रा 1973 में हुई थी। इस प्रकार, यह 42 साल बाद हो रही है। वास्तव में हम कनाडा को निवेश, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने स्वयं के विकास संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। कनाडा विश्व

की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा, यदि हम परिसंपत्तियों की दृष्टि से देखें, तो उनके पांच शीर्ष पेंशन फंड अकेले ही लगभग 700 बिलियन डॉलर की परिसंपत्तियों का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार, यहां निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। कनाडा ऊर्जा की दृष्टि से भी सुपर पावर है और यहां पर विश्व की सर्वोत्तम शोध संस्थाएं और विश्वविद्यालय स्थित हैं। दूसरी बात कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 1.2 मिलियन है, जो मायने रखती है। भारत और कनाडा जिस प्रौद्योगिकी का अनुसरण करते हैं, उसे पी एच डब्ल्यू आर (प्रेशरराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर) कहा जाता है। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वास्तव में, विश्व के 16 प्रतिशत यूरेनियम भंडार कनाडा में हैं। इसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की मौजूदगी में कमेको और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने 35 करोड़ डॉलर की यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। इस नये करार के तहत अगले पांच वर्षों में भारत, कनाडा से तीन हजार टन से ज्यादा यूरेनियम खरीदेगा। इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा।

रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा तीसरा देश है, जो भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। यूरेनियम आपूर्ति से भारत के हरित ऊर्जा मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा मानवता के लिए हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है। स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी है। इस समझौते से हमारे मिशन के पूरा होने में मदद मिलेगी। भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी प्रतिबद्धता जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बाजार खोलने संबंधी इस समझौते की रूपरेखा सितंबर तक तैयार कर ली जाएगी। मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) भी जल्द कर लिया जायेगा।

feedback@chauthiduniya.com

क्या मोदी सरकार ने भारत-पाक बॉर्डर पर पाक प्रायोजित आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत ने जो सख्ती दिखाई है, उससे पाकिस्तान तिलमिला गया है? क्या लखवी की रिहाई के पीछे भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश है? आखिर क्यों लखवी की रिहाई की खुशी में पाक में उसके घर पर पाकिस्तानी अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच जमकर पार्टी हुई? मसला चाहे जो भी हो, लेकिन लखवी की रिहाई पर पाक सरकार के नापाक इरादे को लेकर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जबरदस्त आलोचना हुई है।

## चौथी दुनिया ब्यूरो

**अ**भी लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी की रिहाई हुई ही थी कि उसके तुरंत बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया। आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एक लेटर मिली है, जिसके अनुसार दो से तीन महीने के अंदर मुंबई में बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि भारत के तमाम ऐतराजों के बावजूद खूंखार आतंकी लखवी जेल से बाहर आ कैसे गया? लखवी की रिहाई को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार की आतंक पर लगाए गए नयी नीति के रूप में भी देखा जा रहा है। लखवी की रिहाई के पीछे आनेवाले दिनों में पाकिस्तान द्वारा भारत में किसी बड़े हमले की योजना भी हो सकती है। हालांकि भारत के सुरक्षा तंत्र ने एक आंकलन तैयार किया है,

# आतंक फैलाने के लिए आज़ाद हुआ लखवी

जिसकी समीक्षा जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लखवी को गुड टेरेस्ट्रि की श्रेणी में रखता है और उसके खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भारत विरोधी अपनी मंशा को इतनी आसानी से पूरा कर ले, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका और इजरायल की तरफ से लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिली फटकार के बाद भारत उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की अपनी कोशिशों को और तेज करेगा। एक खास बात यह है कि इस बार कोशिश सिर्फ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पर नहीं होगी, बल्कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर भी पाक के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया जाएगा। एक बात और ध्यान देने लायक है कि हो सकता है पाकिस्तान लखवी पर भारत से और अधिक सबूत की मांग करे, लेकिन भारत को यह बात ध्यान देना होगा कि वह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अब लखवी के मसले पर कोई सबूत न दे, क्योंकि भारतीय अधिकारियों का भी कहना है कि लखवी के मसले पर पाक सरकार को काफी सबूत दिए जा चुके हैं। ऐसे में अगर भारत फिर से कोई सबूत सौंपने की कोशिश करता है, तो वह भारतीय विदेश नीति को कमजोर ही करेगा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की किरकिरी ही होगी।

मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना शुरू हो गई है। लखवी की रिहाई पर अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की। अमेरिका का कहना है कि आतंकवादी हमले सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा व बचाव पर एक हमला है। हालांकि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का यह नाटक कोई नया नहीं है। नाटक इसलिए कि जब अमेरिका से पूछा



गया कि क्या उसके विरोध का असर पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार से पड़ सकता है? इस पर उसका जवाब था कि उसने पाकिस्तान के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन वह किसी तरह के परिणामों और नतीजों का अनुमान नहीं लगा सकते। फ्रांस ने भी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि लखवी की रिहाई न तो भारत के लिए ठीक है और न ही दुनिया के लिए। फ्रांस ने यह स्टेटमेंट उस समय दिया, जब भारतीय पीएम फ्रांस के दौर पर थे। यही बात भारत को समझनी होगी कि किसी देश का चेहरा देख कर या उस देश की नीति के अनुसार भारत अपनी नीति न बनाए, जैसा कि भारत शुरू से ही करता आ रहा है। आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खामी यही है कि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है और वह पाकिस्तान या अन्य देश के मसले पर अमेरिका या अन्य देशों की प्रतिक्रिया आने

का इंतजार करता है और उसके बाद हो-हल्ला मचाता है। यही कारण है कि भारत को पाकिस्तान जैसे देशों पर कुछ खास सफलता हासिल होती नहीं दिखती। क्या अमेरिका भारत से या किसी अन्य देश से यह पूछने आता है कि पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई करे या नहीं।

भारत ने लखवी की रिहाई को मुंबई हमले के पीड़ितों का अपमान बताया है। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के दोहरे मानदंड की ओर ध्यान दिलाया है। भारत यहीं गलत करता है। एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि भारत इस बात को समझने में देर क्यों कर रहा है कि उस पर आतंकी हमलों का असर विदेशों पर नहीं पड़ता। खासतौर पर उस समय तक जब तक कि वह देश भी पाकिस्तानी या अन्य तरह के आतंकवाद का निरंतर भुक्तभोगी न हो। अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर अमेरिका हाल ही में पाकिस्तान को एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता क्यों देता? भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब को भी यमन में जारी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए सभी देश अपने हक में ही पाकिस्तान के पक्ष या विपक्ष में फैसला लेंगे। जब तक भारत अन्य देशों का मुंह देखता रहेगा, उसे पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया अपनाने में कभी सफलता नहीं मिलेगी और न ही अन्य देशों की तरफ से पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई का भरोसा ही मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे और प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान से निपटे, क्योंकि पाक आतंकवाद का असली भुक्तभोगी भारत ही है। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान पूछे गए प्रश्नों के जवाब में जो कहा, वह भारतीय पीएम की

आतंकवाद के मुद्दे पर चिंता को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतनी ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। गुहमंत्रि राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत पाक के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन लखवी की रिहाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। ऐसे कदमों से दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ता है। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते की परवाह है? क्या पाकिस्तान आतंक के रास्ते से हटकर भारत के साथ अपने रिश्ते पर गंभीरता से विचार कर रहा है? इसका जवाब न में ही होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्तों के बनने या बिगड़ने की परवाह होती, तो वह भारत द्वारा दिए गए सबूत चाहे वह कसाव के बयान हों, डेविड हेडली या फिर अबू जिंदाल के बयान हों, की परवाह जरूर करता, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान ने भारत द्वारा दिए गए किसी भी सबूत को तरजीह नहीं दी।

लखवी की रिहाई का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी मुल्क और लखवी के अपने ही देश पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने लखवी की रिहाई को पाक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि लखवी की रिहाई से उसके लिए मुश्किल बढ़ गई है। सरकार ने अपनी दलील में यहां तक कहा है कि लखवी की रिहाई से मुंबई हमले मामले की जांच भी प्रभावित हो सकती है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए लखवी को फिर से सिक्वियोरिटी ऐक्ट के तहत हिरासत में लिया जाए।

feedback@chauthiduniya.com





तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रयत्न द्वारा अंततः मुक्ति पा ही लेते हैं। लेकिन दोनों में एक श्रेणी और होती है जो खुद को बचाए रहती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह श्रेणी कैसी है? परमहंस देव बोले, हां, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी के मनुष्य उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता।

# साई का हर संदेश राह दिखाता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपने गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। सच तो यह है कि बाबा की हर कथा में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है।

यह सभी साई भक्त जानते हैं कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद्भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काकासाहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी वह उसी प्रकार अध्ययन करते रहे। एक समय चौपाटी (मुंबई) में काकासाहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे। वे दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात् ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी। राजा जनक ने इन

नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान भी किया था। पठन समाप्त होने पर काकासाहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सद्गुरु अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है। परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही रहे। दरअसल, यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था, माधवराव को ढूँढते-ढूँढते वहां आ पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाडे भी माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे।



इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों,

क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेश प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो। उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए। वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे। यह दृश्य

और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। परंतु उनके श्री-चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूँ। मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिए। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ। घराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जूरी के किनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लिए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात् काका ने दैवी आदेशसूचक पंचियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेश हो जाता, तो वे कागज़ की दो पंचियां पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पंचियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रख दिया और एक अवोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई, तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का संदेश भी दूर हो गया।

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं। मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े। साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई। आप साई को क्यों पूजते हैं। कैसे बने आप साई भक्त। साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है। साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए हैं? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें।

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301  
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

feedback@chauthiduniya.com

## साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा।
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।
5. गुड़े सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो।
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए।
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन व मेरा झूठा होगा।
9. आ सहायता तो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर।
10. मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया।
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न वन्य।



## पाठकों की दुनिया

पॉलीथीन पर लगे रोक

समाचार पत्र पढ़ने वालों ने दर्जनों बार पढ़ा होगा कि सरकार चाहती है कि निश्चित मानक से पतली पॉलीथीन का प्रयोग लोग न करें, क्योंकि यह अविघटित होने के कारण धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रही है। यदि ऐसा हो तो सरकार इसके उत्पादन पर रोक क्यों नहीं लगाती? जब उत्पादन ही बंद हो जाएगा तो लोग स्वतः इसका प्रयोग बंद कर देंगे। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि यहां समस्या की जड़ को समाप्त करने पर विचार नहीं किया जाता है।

-राजकिशोर पाडेय(प्रहरी), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।

बात नहीं काम करने की जरूरत है

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धर्म की आजादी और देश में असामान्यता की बात की। सीरी फोर्ट सभागार में ओबामा का भाषण राजनीतिक संचार का बेहतरीन नमूना था। उसमें मित्रता का भाव था, दूरदर्शिता थी, गंभीरता थी और साथ ही उपदेश भी शामिल था। धर्म की आजादी पर ओबामा की बातों को केन्द्र सरकार और भाजपा के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों धर्मतरण का मुद्दा जोरों पर था। सरकार अपने प्रदर्शन को किस हद तक समझ पा रही है। यह यक्ष प्रश्न है। अपने ही शब्दांडंबर पर यकीन करना सरकार की भूल होगी। हमारी नई केन्द्र सरकार को दिखावे से आगे निकलने की जरूरत है। जनतंत्र में प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण और दिशा निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार भारतीय नौकरशाही को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ कर रही है वह सही है। लेकिन सरकार कब काम करेगी? क्योंकि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

-अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार।

न्याय व्यवस्था पर दाग

मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को पीएसी जवानों द्वारा कथित एक समुदाय के 42 लोगों की बर्बर हत्या के 28 वर्ष बाद दोषी पुलिस कर्मियों को पहचान के अभाव में बरी हो जाना पुलिस बल में व्याप्त भ्रष्टाचार का नमूना है। न्याय में होता देरी भारतीय न्याय व्यवस्था पर दाग है, जिससे हर अपराधी तकनीकी पेंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके इतना विलंब कर लेता है कि साक्ष्य समाप्त हो जाए और गवाह न मिलने पर वह झूट जाए। अतः भारतीय न्याय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें अपराधी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का अवसर ही न मिले।

-सत्य प्रकाश (शिक्षक) लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।

सच्ची पत्रकारिता यही है

कलम की बेताज दुनिया में चौथी दुनिया का हर अंक आमजन मानस को शुक्ल और राहत देने वाला और भ्रष्ट नौकरशाही के लिए आफत भरा होता है। घोटालों का कॉरपोरेशन आवरण कथा में घोटाले बाजों की दागभरी छवि को सार्वजनिक करने का साहस दिया है। किसानों की दुखभरी कहानी पर सरकार की लाचारी और बेरुखी भी इस धरती के अन्नदाता की बदनसीबी की और बढ़ाती है। साहित्य पर आपके नियमित स्तंभ बहुत प्रेरणादायी हैं।

-छैलबिहारी शर्मा, छाता, उत्तर प्रदेश।

सीबीआई जांच की जरूरत

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच कर रही एसीबी की टीम द्वारा पूर्व में घोटाले से संबंधित नामों वाली डायरी मिलने का जिक्र किया गया

था, लेकिन अब ऐसी किसी डायरी के मिलने से मुकर रही है, जो संदेह को जन्म देता है। संदिग्ध मंत्रियों व रसूखदारों को बचाने का तो यह खेल नहीं खेला जा रहा है। क्या एसीबी द्वारा जांच के दौरान वीडियो रिकार्डिंग की गई थी। यदि नहीं तो डायरी का सबूत आसानी से मिटाया जा सकता है। यदि वीडियो रिकार्डिंग की गई तो उसमें डायरी की बात जांची जा सकती है, बशर्ते वीडियो रिकार्डिंग जानबूझकर खराब या डिलीट न की गई हो। चाहे जो हो, अब जांच सीबीआई से कराये बिना सच सामने आने वाला नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी जांच किसी कीमत में नहीं करवाने वाली। अब असली घोटालेबाज भले बच जाएं। लेकिन जनमानस में सरकार की छवि तो जरूर धूमिल हुई है।

-सुरेश वाहने, शिवनगर कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

न्याय कब मिलेगा

मैंने 06 अप्रैल-12 अप्रैल 2015 के अंक में संपादकीय पेज पर प्रकाशित आलेख देश को किस रास्ते पर जाना चाहिए, विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-5 औरत फिर बनी मौत की वजह, राहुल गांधी का अप्रासंगिक होना और जब तोप मुकाबिल हो राजनीतिक तंत्र को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है पढ़ा बेहद प्रभावित किया। संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में सही कहा है कि हाशिमपुरा हत्याकांड ऐसा मसला है, जो ये बताता है कि अगर आप सरकार के अंग हैं और आपने अत्याचार किए हैं या हत्याएं की हैं, तो जांच एजेंसियां भी आपकी मदद करेंगी। आप सरपेंड भी नहीं होंगे। आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे। क्योंकि जांच एजेंसियां जो सत्ता में होता है उसके इशारे पर कार्य करती हैं।

-उमाशंकर सिंह, बक्सर, बिहार।

## लघु कथा

### सबसे बड़ी बात

एक दिन सुबह के समय परमहंस देव अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पास ही कुछ मछुआरे जाल फेंक कर मछलियां पकड़ रहे हैं। वह अचानक एक मछुआरे के पास पहुंचकर खड़े हो गए और अपने शिष्यों से बोले, तुम लोग इस जाल में फंसी मछलियों की गतिविधियां गौर से देखो। शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जो जाल में निश्चल पड़ी हैं। वे निकलने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही हैं, जबकि कुछ मछलियां जाल से निकलने की कोशिश करती रहीं। हालांकि, उनमें कुछ को सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ जाल से मुक्त होकर फिर से जल में खेलने में मगन हैं।

जब परमहंस ने देखा कि शिष्य मछलियों को देखने में मगन होकर दूर निकल गए हैं, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लिया। शिष्य आ गए तो कहा, जिस प्रकार मछलियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, वैसे ही अधिकतर मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी उन मनुष्यों की होती है, जिनकी आत्मा ने बंधन स्वीकार कर लिया है। अब वे इस भव-जाल से निकलने की बात ही नहीं सोचते। दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की है, जो वीरों

की तरह प्रयत्न तो करते हैं पर मुक्ति से वंचित रहते हैं। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रयत्न द्वारा अंततः मुक्ति पा ही लेते हैं। लेकिन दोनों में एक श्रेणी और होती है जो खुद को बचाए रहती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह श्रेणी कैसी है? परमहंस देव बोले, हां, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी के मनुष्य



जब परमहंस ने देखा कि शिष्य मछलियों को देखने में मगन होकर दूर निकल गए हैं, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लिया। शिष्य आ गए तो कहा, जिस प्रकार मछलियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, वैसे ही अधिकतर मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं।

उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता।

# चुनिंदा सत्य के खतरे



अनंत विजय

**म**राठी एक ऐसा शब्द है, जिसे महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले सभी दल लगातार भुनाते रहे हैं, भुना रहे हैं और आगे भी भुनाते रहेंगे। राजनीतिक दलों को लगता है कि मराठी अस्मिता के नाम पर वे जो भी कार्ड खेलेंगे, वह तुरंत का इक्का ही होगा। दरअसल, राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुधा इस तरह की चाल चलते हैं। कभी-कभार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी और मराठा मानुष के नाम पर राजनीति की एक लंबी परंपरा रही है। आजादी के बाद की परिस्थितियों में शिवसेना ने इसे काफी भुनाया और राज ठाकरे की राजनीति की तो बुनियाद ही मराठी अस्मिता रही है। हालांकि, पिछले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस तरह की राजनीति करने वालों को उनकी सही जगह दिखा दी।

अब इसी मराठी भावना को भुनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स को शाम छह बजे से नौ बजे तक मराठी फिल्मों दिखाने का फरमान जारी कर दिया। यह एक ऐसा फरमान था, जिसके खिलाफ बुद्धिजीवियों को मजबूती से उठ खड़े होना चाहिए था। राजनेताओं से तो ऐसी अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि जहां उन्हें संविधान और वोट बैंक में से किसी एक को चुनना होता है, तो उनकी प्राथमिकता वोट बैंक होती है। लेखकों की कोई मजबूती नहीं होती है, उन्हें तो सत्य के साथ होना चाहिए। इस बार भी लगभग पूरा लेखक समाज चुप रहा, लेकिन अंग्रेजी की लेखिका एवं पत्रकार शोभा डे ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस फरमान पर तंज कसते हुए लिखा कि अब मल्टीप्लेक्स में पापकारन की जगह दही मिसल और वड़ा पाव मिला करेगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट करके अपना विरोध जताया।

शोभा डे के ट्वीट के बाद आगवबूला शिवसेना ने उनके खिलाफ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं। इसके बाद शोभा डे के खिलाफ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं। इस बीच शोभा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूँके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वड़ा पाव लेकर शिवसैनिक उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक समुदाय खामोश रहा। जितनी चिंता की बात सरकार का सिनेमाघरों को मराठी फिल्मों के लिए बंद तय करना है, उससे ज्यादा चिंता की बात लेखक और बुद्धिजीवी समुदाय का इस मुद्दे पर खामोश रहना है। यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर देश भर के लेखकों को विचार करना होगा, गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा। इस तरह की खामोशी एक तरह से सरकारों को बल प्रदान करती है।

संविधान के नाम पर शपथ लेकर सत्ताधीश बने नेताओं के हासिले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि वे संविधान की परवाह करना छोड़ने की सोचने लगते हैं, लेकिन एक शोभा डे की पहल ने महाराष्ट्र सरकार को अपना फरमान बदलने के लिए मजबूर कर दिया। भारत में लेखकों एवं साहित्यकारों द्वारा सत्ता और उसके फैसलों के विरोध की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसका क्षरण रेखांकित किया जा सकता है। आजादी के बाद लेखक समुदाय हर मसले पर अपनी राय रखता था और उसे प्रकट करता था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मशहूर कन्नड़ लेखक अनंतमूर्ति ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। यह अलहदा बात है कि विरोध करने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था, वे अनुचित थे। उन्होंने मोदी के जीतने पर देश छोड़ने की बात कह दी थी, जिस पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी।

राजनीति के आगे मशाल की तरह चलने वाला



**शोभा डे के ट्वीट के बाद आगवबूला शिवसेना ने उनके खिलाफ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं। इसके बाद शोभा डे के खिलाफ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं। इस बीच शोभा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूँके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वड़ा पाव लेकर शिवसैनिक उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक समुदाय खामोश रहा।**

साहित्य इन दिनों उसी राजनीति का शिकार हो गया है। सत्य और चुनिंदा सत्य में जो फर्क होता है, उसने साहित्य जगत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर हम हिंदी साहित्य की ही बात करें, तो देखते हैं कि साठ व सत्तर के दशक के बाद से लेखन और विमर्श में प्रतिरोध की खूब बातें हुईं। सत्ता के विरोध और प्रतिरोध के नाम पर जमकर सत्ता सुख भोगने के मामले भी सामने आए। प्रगतिशीलता, जनवाद आदि जैसे जुमले गढ़कर देश की जनता को गुमराह करने का खेल खेला गया। साहित्य में प्रगतिशीलता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। साहित्य तो खुद प्रगतिशील होता है। दरअसल, यह पूरा खेल अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर खेला गया था। लेखक संघ बनाए गए। जो भी लेखक संघ बने, वे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे और उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरह काम करते रहे, लेकिन जनता के सामने अपना दूसरा चेहरा पेश कर उसे भ्रमाते रहे।

प्रगतिशील लेखक संघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंग रहा। उसी तरह जनवादी लेखक संघ सीपीएम का बौद्धिक प्रकोष्ठ बना रहा। जैसे-जैसे वामपंथी पार्टियों में विभाजन होते

रहे, उनके लेखक प्रकोष्ठ बनते रहे। जब सीपीएम में विभाजन हुआ, तो एक ओर बौद्धिक प्रकोष्ठ बना, जिसका नाम पड़ा जन संस्कृति मंच। दरअसल, हमारा मानना है कि लेखकों को इन वामदलों ने सिद्धांत, प्रतिरोध, गरीब, दबे-कुचले जैसे शब्दों के नाम पर भ्रमित किया और फिर उनका फायदा उठाया। जब ये लेखक संगठन इन पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगे, तो जाहिर है कि उनके विरोध और प्रतिरोध में भी अपने राजनीतिक आकाओं की मुंहदेखी होने लगी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ ने इमरजेंसी का समर्थन किया। इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहां आवश्यक नहीं है।

अब तो प्रगतिशील लेखक संघ की हालत यह हो गई है कि वह लेखकों की सहमति के बगैर उन्हें पार्टी के पद बांट रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कवि राज्यवर्धन को बगैर उनकी जानकारी और सूचना के राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यवर्धन ने फेसबुक पर इस बारे में लिखकर जानकारी साझा की है। पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ बनने का नतीजा यह हुआ कि लेखकों ने चुनिंदा सत्य बोलना शुरू कर दिया। चुनिंदा और सुविधानुसार बोला गया सत्य झूठ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इन लेखक संगठनों से जुड़े रचनाकार तस्लीमा नसरीन के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वहीं एमएफ हसन के मामले में जोरदार विरोध शुरू हो जाता है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का विरोध करने वाले लोग सलमान रुश्दी के मामले में खामोश हो जाते हैं। क्या यह एक प्रकार की लेखकीय सांप्रदायिकता नहीं है?

कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने वाले लेखक मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने में घबराने लगते हैं, उनकी जुबान खामोश हो जाती है। ऐसे लेखकों को लगता है कि अगर वे मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ बोलेंगे, तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। सांप्रदायिकता और फासीवाद की आड़ लेने वाले लेखक उसी का शिकार होते चले गए। इस तरह की प्रवृत्ति लंबे समय तक चलती रही, जिसका परिणाम

यह हुआ कि लोगों का लेखकों से भरोसा उठता चला गया। लेखक भी सत्ता के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय करने लगे। राजनीति के आगे चलने वाली मशाल सत्ता की पिछलग्गू बन गई। जब आप सत्ता के पिछलग्गू बनें, तो फिर उसके खिलाफ बोलने के साहस का हास होता चला जाएगा। नतीजे के तौर पर हमें शोभा डे जैसे मामले देखने को मिलेंगे। शोभा डे के समर्थन में साहित्य जगत का न आना चौंकाता ही नहीं, बल्कि उसी धारणा को पुष्ट करता है। दरअसल, अगर हम पूरी गंभीरता से हिंदी के लेखकीय परिदृश्य पर विचार करें, तो निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। मुक्तिबोध और उनकी कविता की पंक्ति-तोड़ने ही होंगे सारे गढ़ और मठ को नारे की तरह इस्तेमाल करने वाले लेखक गढ़ और मठ में शामिल होने की जुगत में लगे रहते हैं। कोई किसी अकादमी का सदस्य बनना चाहता है, तो कोई किसी सरकारी कमेटी में फिट होने के जुगाड़ में लगा रहता है। किसी की ख्वाहिश किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनने की होती है, तो कोई पुरस्कार के दंड-फंड में जुटा रहता है।

ऐसे परिदृश्य में यह अपेक्षा करना बेमानी है कि लेखक सरकारी फैसलों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे। सरकारी संरक्षण हासिल करने की लालसा लिए घूम रहे ऐसे लेखकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसकी ऐतिहासिकता में अगर जाएं, तो इसके बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिखाई देते हैं, जब इमरजेंसी पूर्व ही उन्होंने साहित्य और संस्कृति का मसला वामपंथियों को सौंप दिया। इंदिरा गांधी की यह एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसके वामपंथी शिकार हुए और इसकी एवज में वे इंदिरा गांधी का समर्थन करते रहे। अब वक्त आ गया है कि लेखक समुदाय, खासकर हिंदी के लेखकों को साहस के साथ सच बोलना चाहिए, वह भी समग्रता में, क्योंकि चुनिंदा सत्य ने लेखकों से समाज का भरोसा कम कर दिया है। चुनिंदा उसी भरोसे को वापस लाने की है। ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.tbn@gmail.com

## स्मृति शेष

# आम जन के कवि थे सनकी

### महेंद्र अवधेश

आम लिखो न खास लिखो,  
फूस लिखो न घास लिखो,  
और न कोई इतिहास लिखो,  
सारा देश खा गए नेता, उनका सत्यानाश लिखो।

\*\*\*\*\*

बात जब छिड़ती आमों की, दशहरी याद आती है,  
मिली ससुराल में थी, वह मसहरी याद आती है।

**क**वि सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फैजाबाद, इलाहाबाद में हो या देश के किसी कोने में, मंच पर यदि श्रीनारायण अग्निहोत्री उर्फ सनकी मौजूद हों, तो हास्य के रसिक श्रोताओं की ओर से उक्त रचनाओं की मांग उठना लगभग तय माना जाता था। वह कविता पढ़ें, इससे पहले यानी उनके खड़े होते ही ठहाके बरबस गूंजने लगते थे। बीते चार अप्रैल को अवधी भाषा के प्रसिद्ध हास्य-व्यंग्य रचनाकार श्रीनारायण अग्निहोत्री उर्फ सनकी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कानपुर के

## ससुराल की होली

शादी के बाद परी होली,  
ससुरारी से पाती आई।  
पहिली होली ससुरारी की,  
लिखि भेजेन सब भौजाईं।

होली जब निकच्यो लागि,  
बढ़िया कपड़ा हम बनवावा।  
होली मा अइबे ज़रूर,  
ससुरारि खबर या पहुंचावा।

सैकरन रूपैया खर्च कीन,  
बनुवावा केतनिव शर्ट-वैट।  
दादी का करिके सफाचट्ट,  
बारन मा खुशबूदार सैंट।


जब ससुरारी पहुंचेन भाई,  
सब दऊरि परी सरहन-सारी।  
जीजा-जीजा कहि टूटि परी,  
बरसावै लागी पिचकारी।

बारन मा माटी भरि दीन्हेन,  
मुंह मा दीन्हेन कालिख लगाय।  
सब दुर्गाति हमरी कइ डारेन,  
लखुवा बानर दीन्हेन बनाय।

भै कपड़न के छीछालेदर,  
घर फूंकि तमासा कई डारा।  
बुरा न मानौ होरी है,  
समुझावै लाग बड़ा सारा।

केतनेव नाखून लगे मुंह मा,  
साली की हंसी-ठिठोली से।  
अब कबौं न अइबे ससुरारी,  
भरि पावा अईसी होली से।

हम तो धोखा अब खाय गयेन,  
मुनु तुम भाई हुशियार रहेव।  
हमरी अस दुर्गाति होइ जईई,  
जो फागुन मा ससुरारि गयेव।



श्रीनारायण अग्निहोत्री (सनकी)

नर्वल गांव में आठ मार्च, 1933 को जन्मे सनकी ने शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक किया। इसके बाद वह लखनऊ के चौक स्थित काली चरण इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गए, जहां से 1993 में सेवानिवृत्त हुए।

सनकी न केवल आम जनता के कवि थे, बल्कि वह कवियों के बीच भी खासे लोकप्रिय थे। उनके सरल स्वभाव के सब कायल थे। हास्य कवि अशोक झंझरी के मुताबिक, कवि सम्मेलन जहां होता था, सनकी वहां का सूर्य नहीं देखते थे। कविता पढ़ने के बाद वह अपनी मंडली के साथ वहां से निकल लेते थे, चाहे साधन मिले या न मिले। उनके झोले में बिस्किट, किशमिश, काजू आदि हमेशा रहते थे, जो वह हम लोगों में बांटा करते थे। बकौल अशोक, सनकी देश के निर्विरोध कवि थे। हास्य कवि सर्वेश अस्थाना के शब्दों में, सनकी जी कवि सम्मेलन में जाने का पैसा नहीं मांगते थे। आयोजक जो कुछ दे देते थे, उसे वह खुशी के साथ रख लेते थे। सनकी कहते थे कि वह पैसा मांगकर कविता को छोटा नहीं करना चाहते।

हास्य कवि राजेंद्र पंडित कहते हैं कि रमई काका और वंशीधर शुक्ल के बाद अवधी हास्य व्यंग्य की पताका सनकी के हाथों में थी। पूरी गंभीरता के साथ हास्य लिखने वाले सनकी जिस मंच पर प्रस्तुति देते थे, वह उन्हीं के नाम से जाना जाता था। हास्य लेखन में उन्होंने नए-नए प्रयोग किए। पारंपरिक शैली के अलावा उन्होंने गज़ल, लोकगीत और अतुकांत कविताओं में भी अद्भुत हास्य प्रस्तुत किया। जीवन के अंतिम समय में सनकी जी आर्थिक तंगी के शिकार रहे। पिछले काफी दिनों से वह अस्वस्थ थे। अपनी रचनाओं के जरिये पूरी ज़िंदगी जन-सामान्य को गुदगुदाने वाले सनकी जी ने करीब दस वर्ष पूर्व लखनऊ स्थित केजीएमयू को अपना शरीर दान कर दिया था। उनकी कुल तीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं-सनक, आओ बच्चों, ठिठोली। बकौल वरिष्ठ कवि सूर्य कुमार पांडेय, रमई काका ने अवधी में जो हास्य लिखा, वह अतुलनीय है। लेकिन, उनके बाद जिनका नाम लिया जा सकता है, वह थे सनकी। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े जनकवि को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। ■

mahendra.awadhesh@gmail.com



स्वयं शिक्षण प्रयोग एक गैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।



# स्मार्टफोन बनेगा माउस

श्याम सुन्दर प्रसाद

**आ**प अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में Wireless Mouse का आनंद लेना चाहते हैं या आप बैठे-बैठे कम्प्यूटर या लैपटॉप पर मूवी या किसी अन्य प्रोग्राम जैसे गाने या धारावाहिक का आनंद ले रहे हों और आपको किसी कारण प्रोग्राम को बंद करना पड़े, चाहे आवाज कम या ज्यादा करना हो या आप कम्प्यूटर को बन्द करना चाहते हैं, तो किसी को आवाज देते हैं कि वह आकार बंद कर दें या आपको खुद उठकर बंद करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको उठने या किसी और को आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी जगह पर रहकर भी वायरलेस माउस का प्रयोग कर कम्प्यूटर या लैपटॉप बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास वायरलेस माउस नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के वायरलेस माउस बनाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं।

**स्मार्टफोन को बनाए वायरलेस माउस**

आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेस माउस में बदलने के लिए अपने कम्प्यूटर और एंड्रॉयड फोन में Android Mouse and Keyboard Apps (Andro-Mouse 3.0) डाउनलोड करें। यह एप्स एंड्रॉयड फोन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कम्प्यूटर के लिए (Andromouse Desktop Server 3.0) आप एंड्रॉयड माउस के ऑफिशियल वेबसाइट (<http://www.andromouse.com/>) से डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्यूटर में जब आप Android Mouse and Keyboard Apps इनस्टॉल करेंगे तो यहां आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा, यह सभी कम्प्यूटर में यूनिक होता है इसे आप नोट कर लें। अब अपने एंड्रॉयड फोन में इस

एप्स को इनस्टॉल करें। जब आप ऐप्स इनस्टॉल करके उसे खोलेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन वाई-वाई और ब्लूटूथ आयेगा, यहां आप वाई-वाई को सेलेक्ट कर अपने कम्प्यूटर से प्राप्त किए गए आईपी एड्रेस को भर कर मोबाइल एप्स से कनेक्ट कर दीजिए। अब आपका स्मार्टफोन (एंड्रॉयड) बन गया बिल्कुल मुफ्त वायरलेस माउस।

**एंड्रॉयड फोन को बनाएं वाई-वाई राउटर**

वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शहरों में लगभग सभी घरों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए राउटर या वाई-वाई लगे होते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड फोन एक वाई-वाई हॉटस्पॉट/राउटर का काम करे और आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाई-वाई राउटर में बदल लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने फोन के डाटा का इस्तेमाल कर आप अपने घर या ऑफिस में मौजूद सभी वाई-वाई डिवाइस, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि चला सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या करीबियों के साथ भी अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। स्मार्टफोन को राउटर या वाई-वाई बनाकर आप अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं।

**कैसे बनाएं राउटर**

सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फोन के मेन्यू बटन पर क्लिक करें और सेटिंग्स में जाएं। उसके बाद वायरलेस एंड नेटवर्क मेन्यू में जाकर टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करें (सैमसंग/माइक्रोमैक्स/शियामी मोबाइल में मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद (उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा) टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन को क्लिक कर उसके अंदर जाकर हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग/सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट



**आप ब्लूटूथ से आसानी से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फोन सही हो, लेकिन अगर आपका फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो इस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिये जरूरी है कि अपने कांटेक्ट लिस्ट को ऐसी जगह सेव रखें जहां से किसी भी समय आप आसानी से उसका बैकअप ले सकें।**

सेटिंग को खोलकर आप यहां पर Network SSID में कोई नाम लिखिए (उदाहरण चौथी) तथा Security ऑप्शन में WP2 PSK ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद पासवर्ड के ऑप्शन में कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड टाइप करें और सेटिंग्स को सेव कर दीजिए और टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन से बाहर आकर आप अपने वाई-वाई हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिये। ऑन करने के बाद आपका अपना प्राइवेट वाई-वाई तैयार हो जाएगा। अब आपको जिस-जिस डिवाइस में वाई-वाई के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना हो उसके वाई-वाई ऑप्शन में जाकर Network SSID में जो नाम दिया हो (चौथी) वो सर्च करें और वही पासवर्ड के माध्यम से कनेक्ट करें जो आपने सेटिंग के समय उस डिवाइस में समिट किया था। आप चाहे तो बिना पासवर्ड के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं, वे भी बिना पासवर्ड के आपके वाई-वाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड के प्रयोग से आपके डाटा की सिक्योरिटी बनी रहती है और आपका वाई-वाई वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिनको आपके पासवर्ड की जानकारी होगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन के डाटा को शेयर करके अपने करीबी लोगों के खर्च में कुछ कमी कर सकते हैं।

**कैसे कांटेक्ट बैकअप ई-मेल पर सेव करें**

आपके मोबाइल फोन में मौजूद लगभग सभी कंटेंट जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। लेकिन इन सब में आपका कांटेक्ट लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर यह आपके फोन से गायब हो जाये तो आपको फिर से सभी

को दोबारा हासिल करने में कठिनाई होगी और हो सकता है कि कई सारे कांटेक्ट नंबर मिल भी न पाएं। अगर आप नया मोबाइल फोन लेते हैं तो पुराने मोबाइल से नए मोबाइल कांटेक्ट नंबर ट्रांसफर करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। आप ब्लूटूथ से आसानी से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फोन सही हो, लेकिन अगर आपका फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो इस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिये जरूरी है कि अपने कांटेक्ट लिस्ट को ऐसी जगह सेव रखें जहां से किसी भी समय आप आसानी से उसका बैकअप ले सकें। उसके लिए सबसे सही जगह है आपकी ई-मेल आईडी, ई-मेल ही एक ऐसी जगह है जहां फोन कांटेक्ट लिस्ट को सेव करने पर उसका बैकअप आसानी से कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है।

उसके लिए आप अपने फोन के कांटेक्ट लिस्ट में जाएं। उसके बाद ऑप्शन बटन को दबाएं वहां आपको इम्पोर्ट/ एक्सपोर्ट कांटेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसको क्लिक करें। अब कॉपी कांटेक्ट्स फॉर्म में उस जगह को चुनिए जहां आपके मौजूदा कांटेक्ट्स सेव हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन को चुनें, अब आपको आपकी ई-मेल आईडी, व अन्य ऑप्शन फोन में, मेमोरी में या सिम में बैकअप लेने के लिए दिखाई देंगे, आप इसमें से अपनी ई-मेल एड्रेस को सेलेक्ट कीजिये और नेक्स्ट कीजिये फिर अपने फोन के सभी कांटेक्ट्स को सेलेक्ट ऑल कर सेलेक्ट कीजिये। उसके बाद नेक्स्ट बटन को टच कीजिये, आपके फोन के सभी कांटेक्ट्स का बैकअप आपकी ई-मेल आईडी पर सेव हो जायेगा, इसी तरह आप नए कांटेक्ट्स को भी अपने ईमेल पर सेव कर सकते हैं, उसके लिए आप एंड टू कांटेक्ट्स करते समय अपनी ई-मेल आईडी को सेलेक्ट करें।

feedback@chauthiduniya.com

## यामाहा की सुपरबाइक

यामाहा ने भारत में अपनी दो नई सुपरबाइक YZF-R1 और R1M लॉन्च कर दी है। यामाहा की वाईजेडएफ-आर1 (YZF-R1) ब्लू-सफेद मेटैलिक रंग में उपलब्ध है। कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 29 लाख 43 हजार रुपये रखी है। वहीं आर1एम (R1M) दो रंगों में उपलब्ध है। कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है। दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे। वाईजेडएफ-आर1 और आर1एमकी हाई टेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई हैं। इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4-वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है। साथ ही इन सुपरबाइक्स में टैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रिड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

**कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है। दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे। वाईजेडएफ-आर1 और आर1एमकी हाई टेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई हैं। इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4-वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है।**



## ग्रामीण विकास की गाथा लिख रही हैं सखी

चौथी दुनिया ब्यूरो

यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी) के संयुक्त तत्वावधान में पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित इंडिया हेबिटेड सेंटर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महिला उद्यमियों की अहम भूमिका विषयक इस कार्यक्रम में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त सचिव वर्षा जोशी, यूएसएआईडी के मिशन डायरेक्टर जॉन बीड, स्वयं शिक्षण प्रयोग की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमा गोपालन एवं कीनिया में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की अध्यक्ष वंजीरा मथाई ने अपने विचार व्यक्त किए।

अपने संबोधन में प्रेमा गोपालन ने कहा कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्व-रोजगार के प्रति जागरूक कर रहा है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जॉन बीड के मुताबिक, भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। गांवों के विकास में स्वयं शिक्षण प्रयोग से जुड़ी महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी यह बेहद जरूरी है। अफ्रीकी देश कीनिया में ग्रीन बेल्ट से जुड़ी वंजीरा मथाई ने कहा कि अफ्रीका के देशों में गरीबी काफी ज्यादा है। अन्य देशों की तुलना में वहां लोगों का जीवन स्तर निम्न है। खाना पकाने के लिए अफ्रीकी देशों में लकड़ियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे वहां जंगलों के विस्तार में कमी आ रही है। नतीजतन, वातावरण पर इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। अफ्रीकी देशों में स्वच्छ ऊर्जा की बेहद आवश्यकता है। उनके मुताबिक, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इस दिशा में सार्थक पहल कर रहा है।

स्वयं शिक्षण प्रयोग एक गैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2006 में स्थापित सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस के माध्यम से स्वयं शिक्षण प्रयोग ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार में महिलाओं को स्व-शिक्षण प्रयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहां महिलाओं को एक कामयाब उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इन महिलाओं को व्यापारिक नेटवर्क के विषय में बताया जाता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सबल हो सकें। स्वयं शिक्षण प्रयोग ने एक ग्रामीण मार्केटिंग और वितरण कंपनी को भी प्रोत्साहित किया है, जिसे वर्ष 2006


में स्थापित किया गया था। लाभ-हानि रहित इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2009 में पंजीकृत किया गया। आज यह उन कंपनियों के लिए एक व्यापारिक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है, जो ग्रामीण व्यापार में प्रवेश करना चाहती हैं और सखी नेटवर्क के साथ अपने उत्पादों को घर-घर पहुंचाना चाहती हैं।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अपूर्वा चतुर्वेदी, स्वच्छ ऊर्जा विशेषज्ञ (यूएसएआईडी इंडिया), प्रेमा गोपालन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसएसपी, मणि खुराना, वर्ल्ड बैंक, आशीष कुमार साहू, सीईओ (क्लीन एनर्जी एक्सेस नेटवर्क), अजयता शाह, संस्थापक एवं सीईओ, फ्रंटियर मार्केट्स, अविश रॉय, संस्थापक, री-इंफर्जिंग वर्ल्ड, सोमा दाता,



कार्यक्रम समन्वयक, इनर्जिया और उपमन्यु पाटिल, डायरेक्टर, सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने अनुभव साझा किए।

सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस के डायरेक्टर उपमन्यु पाटिल ने चौथी दुनिया को बताया कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। विपत्ति की मारी ऐसी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही है स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक यह संस्था। महाराष्ट्र के लातूर में वर्ष 1993 में भूकंप आया था। उन दिनों वहां चारों तरफ तबाही का आलम था। लोगों के बीच सरकार को लेकर काफी गुस्सा था। इसलिए हमारे लिए वहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लातूर में हमारी संस्था ने यह महसूस किया कि वहां लोगों को मदद की जरूरत तो थी, लेकिन वे उसी पर आश्रित नहीं थे। कुछ ऐसा ही अनुभव भुज और मुनामी से तबाह हुए तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पाटिल ने बताया कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है। इस संस्था से जुड़े करीब 70 हजार घरों की आय में 33 फीसद का इजाफा हुआ है। सखी (महिला उद्यमी), 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रही हैं। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, आग तापने, रोशनी, कृषि और कारोबार के लिए स्वच्छ ऊर्जा का सीमित उपयोग होता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों को बेचने के लिए उत्सुक हैं।



# कौन होगा फ्लेचर का उत्तराधिकारी

टीम इंडिया को कोच इस बार देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं. क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं. ग्रेग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है. जान राइट के कोच रहते टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची. गुरु गैरी ने 2011 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया. डंकन टीम इंडिया को विश्व कप के सेमी-फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे. राइट के बाद ग्रेग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं. यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा. हांलाकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, राबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं.

धर्मेश कुमार सिंह

**3A** ईसीसी विश्व कप-2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में हार के साथ ही डंकन फ्लेचर का भारत के कोच के रूप में चार साल लंबा सफर खत्म हो गया. विश्व कप खिताब न बचा पाने के बाद, न ही बीसीसीआई फ्लेचर का कार्यकाल बढ़ाना चाहता था और डंकन ने भी कोट्रेक्ट को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं जताई. साल 2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले गैरी क्रिस्टन ने पारिवारिक कारणों की वजह से टीम इंडिया का कोच बने रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद बीसीसीआई ने गुरु गैरी की अनुशंसा पर ही जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान डंकन फ्लेचर को टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया था. हांलाकि, तब टीम इंडिया का कोच बनने की दौड़ में पूर्व कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग और जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लायर भी शामिल थे.

नए कोच के चयन को लेकर बीसीसीआई में एक बार फिर गहमा-गहमी बढ़ गई है. कोच के चयन को लेकर बीसीसीआई की नवगठित वकिंग कमेटी की 26 अप्रैल को कोलकाता में बैठक होने जा रही है. यह जगमोहन डालमिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीसीसीआई वकिंग कमेटी की पहली मीटिंग भी है. संभावना है कि इस बैठक में नए कोच के चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गहन चर्चा होगी. विश्व कप के बाद भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा जून में बांग्लादेश का है. इसलिए बोर्ड के पास कोच के चयन के लिए पर्याप्त वक्त है. फिलहाल भारतीय टीम की कोचिंग की कमान डायरेक्टर रवि शास्त्री, सहायक कोच के संजय बांगर, भरत अरुण और आर श्रीधर की निगड़ी के हाथों में रहेगी. ऐसे में नए कोच की नियुक्ति तक प्रवीण आमरे को बैटिंग कोच बनाए जाने की संभावना नज़र आ रही है.

इस बार कोच देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं. क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं. ग्रेग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है. जान राइट के कोच रहते टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची. गुरु गैरी ने 2011 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया. डंकन टीम इंडिया को विश्व कप के सेमी-फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे. राइट के बाद ग्रेग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं. यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा. हांलाकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, राबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं. वही विदेशी दावेदारों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी के नाम सामने आ रहे हैं. 16 अप्रैल को यह खबर भी आई कि सौरव गांगुली



**नए कोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी धरती पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच जिताने की होगी. इस पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल लोगों में जो इस कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त नज़र आएगा वही टीम इंडिया का चीफ कोच बनने में कामयाब होगा.**

की इस संबंध में जगमोहन डालमिया से गुप्तचुप बैठक की है. ऐसे में इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि फ्लेचर के कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमियां रह गईं जिन्हें पूरा करना नए कोच के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.

नए कोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी धरती पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच जिताने की होगी. इस पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल लोगों में जो इस कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त नज़र आएगा वही टीम इंडिया का चीफ कोच बनने में कामयाब होगा. फ्लेचर के कोच रहते भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरों पर मुंह की खानी पड़ी. इंग्लैंड में साल 2011 में 4-0 और साल 2014 में 3-1 के अंतर से हार मिली, वहीं ऑस्ट्रेलिया में साल 2011-12 में 4-0 और 2014-15 में 2-0 के अंतर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. वहीं न्यूजीलैंड की धरती पर 2013-14 में 1-0 और दक्षिण अफ्रीका में 2013 में 1-0 के अंतर से हार मिली. इस वजह से टीम इंडिया की जमकर आलोचना भी हुई. फ्लेचर की देखरेख में टीम इंडिया ने कुल 38 टेस्ट मैच खेले. इनमें से 13 में जीत हासिल हुई और 17 में टीम को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 9 मैच बराबरी पर समाप्त हुए. हाल ही में जारी हुई टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया सातवें पायदान पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ वन-डे में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा. फ्लेचर के कोच रहते टीम इंडिया ने 106 वन-डे मैच खेले जिनमें से 64 में जीत और 32 में हार हुई जबकि 3 मैच टाई रहे और 7 बेनतीजा समाप्त हुए. साल 2013 में टीम इंडिया ने लगातार आठ वन-डे सीरीज जीतने का अनोखा रिकॉर्ड कायम किया. जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत भी शामिल थी.

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस बार भारतीय टीम के कोच बनने की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे हैं. दादा टीम इंडिया के विदेशी धरती पर प्रदर्शन को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर कई टेस्ट मैच जीते थे. सबसे अहम बात यह है कि उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट की अच्छी समझ है. जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने कप्तान रहते टीम की चाल, चरित्र और चेहरा बदल दिया था. उसे तरह के आक्रामक रुख वाले कोच की

का नाम टीम के नए कोच के रूप में इस बार भी आ सकता है. फ्लेमिंग धोनी की पसंद हो सकते हैं, क्योंकि सीएसके में बतौर कप्तान धोनी फ्लेमिंग के साथ छह साल से काम कर रहे हैं. सीएसके का प्रदर्शन भी उनके कोच रहते स्थिर रहा है. इसके अलावा फ्लेमिंग बिग बैश में मेलबर्न स्टार टीम के भी कोच हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी भी कोच के रूप में चयनकर्ताओं की पसंद हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रही टेस्ट सीरीज के दौरान बात आई थी, कि धोनी ने हसी की बतौर कोच नियुक्ति करने की अनुशंसा की थी. इसके जवाब में हसी ने कहा था कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम है कि मैं इस चुनौती के लिए तैयार हू या नहीं, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका कोच बनने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.

टीम इंडिया को जरूरत है. लेकिन दादा का बहुत ज्यादा आक्रामक होना और कोचिंग देने का अनुभव न होना उनकी राह का रोड़ा बन सकता है. विश्व की तकरीबन सभी टीमों के साथ ऐसे कोच जुड़े हैं जिन्हें कोचिंग देने का पुराना अनुभव है. ऐसे में उनके नाम पर एकतरफा राय बन पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है.

मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में विख्यात राहुल द्रविड़ का नाम भी टीम इंडिया के नए कोच के रूप में सामने आ रहा है. फिलहाल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच और मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं. युवा खिलाड़ियों से सजी इस टीम के प्रदर्शन में द्रविड़ की देखरेख में बहुत सुधार आया है. आईपीएल के वर्तमान सीजन में उनका शुरूआती प्रदर्शन भी बेहतरीन है. जगमोहन डालमिया इस बात के संकेत दिये हैं कि इस बार टीम का कोच कोई भारतीय ही होगा. ऐसे में सौरव गांगुली का भी बंगाल से होना फायदेमंद साबित हो सकता है. राहुल द्रविड़ की तुलना में सौरव का पलड़ा इसलिए भारी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सौरव की पहचान एक आक्रामक कप्तान की रही है. वहीं राहुल एक शांत मिजाज के खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग

का नाम टीम के नए कोच के रूप में इस बार भी आ सकता है. फ्लेमिंग धोनी की पसंद हो सकते हैं, क्योंकि सीएसके में बतौर कप्तान धोनी फ्लेमिंग के साथ छह साल से काम कर रहे हैं. सीएसके का प्रदर्शन भी उनके कोच रहते स्थिर रहा है. इसके अलावा फ्लेमिंग बिग बैश में मेलबर्न स्टार टीम के भी कोच हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी भी कोच के रूप में चयनकर्ताओं की पसंद हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रही टेस्ट सीरीज के दौरान बात आई थी, कि धोनी ने हसी की बतौर कोच नियुक्ति करने की अनुशंसा की थी. इसके जवाब में हसी ने कहा था कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम है कि मैं इस चुनौती के लिए तैयार हू या नहीं, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका कोच बनने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच और किंग्स इलेवन पंजाब के कोच संजय बांगर की हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल जॉनसन ने बहुत तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बांगर भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं ऐसे में वह टीम इंडिया का मुख्य कोच बनने के प्रमुख उम्मीदवार हैं.

भारतीय टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी राबिन सिंह भी टीम इंडिया के कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं. राबिन के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है वह साल 2007 से 2009 तक बौतरी फील्डिंग कोच टीम इंडिया के साथ जुड़े रहे थे. फिलहाल वह मुंबई इंडियन के कोच के रूप में कार्यरत हैं. राबिन सिंह हांगकांग की राष्ट्रीय टीम, इंडिया-ए, डेक्कन चार्जर्स और अमेरिका की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के कोच की भूमिका निभा चुके हैं. उनका कोचिंग का लंबा अनुभव उनके बहुत काम आएगा. दूसरी तरफ वह बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं. खिलाड़ी से लेकर कोचिंग करियर तक वह कभी किसी विवाद में नहीं पड़े. ऐसे में साफ सुथरी छवि के राबिन भारतीय टीम के कोच बनने के सशक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन करियर में केवल एक टेस्ट मैच खेलने का अनुभव निश्चित तौर पर उनकी राह की सबसे बड़ी परेशानी साबित होगा.

कई बार विश्व के कई बेहतरीन खिलाड़ी कई टीमों के कोच बने हैं लेकिन व कोच के रूप

में वे उतने सफल नहीं हुए जितना वे बतौर खिलाड़ी सफल रहे थे. एक सफल कोच होना, सफल खिलाड़ी होने से बहुत अलग है. इसके लिए अलग क्लालिटी(गुणों) की आवश्यकता होती है. एक सफल खिलाड़ी, एक सफल कोच साबित हो, ऐसा सुनिश्चित नहीं है. एक असफल खिलाड़ी भी एक सफल कोच साबित हो सकता है. उदाहरण के लिए कपिल देव, जावेद मियादाद और ग्रेग चैपल ऐसे कुछ नाम हैं जो बतौर खिलाड़ी तो बेहद सफल थे लेकिन कोच की भूमिका में तीनों असफल रहे. वहीं दूसरी तरफ डेव व्हाटमोर, बाब वूलमर जैसे अन्य कई की पहचान महान खिलाड़ियों की नहीं रही, बावजूद इसके उन्होंने खुद को एक बेहतरीन कोच साबित किया. किसी खिलाड़ी को कोच नियुक्त करते समय उसका आकलन केवल और केवल बतौर खिलाड़ी उसकी सफलताओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, उसके अपने दौर के खिलाड़ियों खासकर टीम मेंटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में संबंधों की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए. जिससे टीम में किसी तरह की कोई दरार न पैदा हो. और किसी भी परिस्थिति में टीम में एक जुट रहे. क्रिकेट एक जटिल खेल है जिसमें कई फैक्टर अहम होते हैं. प्राथमिक रूप में यह एक टीम गेम है. इससे अलग व्यापक पैमाने पर एक कोच की सफलता खिलाड़ियों की व्यक्तिगत गुणवत्ता और प्रतिभा पर निर्भर करती है. जिससे टीम का निर्माण होता है. कोच टीम के खेल के स्तर में सुधार लाता है. कोच एक दिन या एक महीने में कोई चमत्कार करके टीम की काया नहीं पलट सकता है. आम तौर पर कप्तान के बारे में कहा जाता है कि वह तभी अच्छा कप्तान साबित हो सकता है जब उसकी टीम अच्छी हो. लेकिन एक अच्छा कोच वह होता है जो एक औसत खिलाड़ी को बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में रूपांतरित कर सके. कोच टीम को मैच नहीं जिता सकता, क्योंकि वह मैदान में उतरकर न तो बल्लेबाजी करता है और न ही गेंदबाजी. इसलिए उसमें रणनीतिक कुशलता और मैन-मैनेजमेंट जैसे गुणों आवश्यक रूप से होने चाहिए. एक कोच खिलाड़ियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. यदि कोच की खेल की तकनीक समझ बेहतर है तो उसे खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने में देर नहीं लगती है. उनकी कमियों को दूर कर उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाने में कोच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. एक कोच के खिलाड़ियों के साथ मित्रवत संबंध होने चाहिए जिससे कि खिलाड़ी खुलकर अपनी बात उनके सामने रख सकें.

नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों को कोच के पद के लिए आवेदन करना होगा. ऐसे में कई सवाल हैं यदि सौरव या राहुल जैसा कोई टीम का नया कोच बनता है तो डायरेक्टर रवि शास्त्री की क्या भूमिका होगी. क्या टेस्ट कप्तान विराट कोहली और एकदिवसीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की राय कोच की नियुक्ति के लिए ली जायेगी और क्या ऐसे में वे दोनों द्रविड़ या गांगुली को टीम का कोच बनाने के हक में होंगे. खासकर धोनी की जिनकी कप्तानी में सौरव और राहुल दोनों ही खेल चुके हैं. ये देखने वाली बात होगी. ■

# शानदार सलीम खान के बेटे हैं सलमान खान



मनीष कुमार

सलीम खान के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। डॉक्टरों की टीम अस्पताल द्वारा दिए गए कागजों को पढ़ती है और अस्पताल में फोन कर बीमारी के बारे में जानकारी लेती है। इलाज में कितने पैसे खर्च होंगे और कब तक इलाज चलेगा इसकी तसल्ली होने के बाद इलाज में लगने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा या फिर कभी-कभी पूरी की पूरी रकम का चेक बनाकर फौरन जरूरतमंद हाथ में दे देते हैं। चेक हमेशा अस्पताल

के नाम से दिया जाता है। सलीम खान ये काम रोज करते हैं। लेकिन, गुरुवार को वह ज्यादा समय के लिए बैठते हैं। हर दिन यही होता है। लोग अपनी परेशानियां बताते रहते हैं और सलीम खान चेक बांटे रहते हैं।

एसे शानदार पिता के बेटे हैं सलमान खान। पिता की तरह सलमान भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं वह भी बिना किसी स्वार्थ के। बॉलीवुड में यदि नये व छोटे कलाकारों या फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने वाले नौजवानों को मदद करने वालों की यदि कोई लिस्ट बनाई जाए तो सलमान खान का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। असलियत तो यह है कि अब तक बॉलीवुड में जितने भी सुपर स्टार हुए हैं उनमें नए लोगों को मौका देने और उनकी मदद करने वालों में सलमान खान जैसा कोई ही नहीं। सलमान की इस खासियत से बॉलीवुड का हर शख्स अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन लोगों के सामने सलमान की ये खूबियां नहीं आई हैं। कई हीरो और हीरोइनों के अलावा हिमेश रेशमिया, संजय लीला भंसाली, साजिद-वाजिद जैसे कई लोगों को पहचान दिलाने में सलमान का अहम योगदान रहा है। गोविंदा जैसे स्टार को फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ही दिया था, उन्हें फिल्म पार्टनर में मौका देकर उनकी सबसेस फुल वापसी सलमान खान ने ही करवाई। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? इसके अलावा, सलमान बिडिंग ह्यूमन नाम की एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके जरिए वह गरीबों, बच्चों और खासकर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की मदद करते हैं। गरीबों की आर्थिक मदद करने के अलावा वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत खर्च करते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच वह अक्सर कंबल वैगरह बंटवाते हैं। समाजसेवा का ये काम सलमान बहुत ही गुपचुप

सलमान खान की शख्सियत भी अजीबो-गरीब है। सबकी मदद करने वाला शख्स हमेशा गलत वजहों से मीडिया की सुर्खियों नजर आता है। फिल्मी दुनिया के लोगों से सलमान के बारे में पूछा जाये तो शायद ही कोई मिले जो उनकी शिकायत करे। हर शख्स यही कहता है कि वह तो मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक मसीहा हैं।

तरीके से करते हैं। वह ऐसे कामों को कभी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनने देते और न ही सोशल मीडिया में इसका ढिंढोरा पीटते हैं।

मुंबई फिल्म-जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसने सलमान से मदद मांगी हो और उन्होंने उनकी मदद न की हो। सलमान एक जिंदादिल इंसान होने के साथ-साथ एक दयावान व्यक्ति हैं। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात और है कई लोग इसे सलमान की कमजोरी मानते हैं। बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सलमान से नजदीकियां बढ़ाई, उनके नाम का इस्तेमाल किया, सफलता हासिल की और दूसरे रास्ते निकल पड़े। सलमान के साथ कई लोगों ने धोखा किया। दोस्त बनकर उनकी पीठ पर खंजर चलाये। लेकिन इतने धोखे खाने के बाद भी सलमान ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। लोगों की मदद करना बंद नहीं किया।

सलमान खान की शख्सियत भी अजीबो-गरीब है। सबकी मदद करने वाला यह शख्स हमेशा गलत वजहों से मीडिया की सुर्खियों में नजर आता है। फिल्मी दुनिया के लोगों से सलमान के बारे में पूछा जाये तो, शायद ही कोई मिले जो उनकी शिकायत करे। हर शख्स यही कहता

है कि वह तो मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक मसीहा हैं। दूसरी तरफ एक और सच्चाई जिसे देश की मीडिया ने बनाया है। मीडिया ने कभी भी सलमान के स्टारडम के मुखौटे के पीछे छिपे एक इंसान की खोज नहीं की। उल्टा, सलमान खान को एक अजीबो-गरीब इमेज-ट्रैप में फंसा दिया। खबर बेचने के धंधे में लगे लोगों ने सलमान खान की एक नकारात्मक छवि दुनिया के सामने पेश की है। एक ऐसे व्यक्ति की छवि, जो नशे में गाड़ी चलाता है, पार्टियों में हंगामा और गाली-गलौज करता है आदि, आदि। साल 1998 में सलमान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा। तब से मीडिया ने सलमान की छवि एक बिगड़ेल व्यक्ति की बना दी। इसके बाद मीडिया ने उनके निजी जीवन में घुसकर ऐसी-ऐसी कहानियां गढ़ीं, जिससे उनकी इमेज और भी बगड़ती चली गई। वो फोन पर गाली-गलौज करने वाले, धमकी देने वाले, सेट पर पहुंचकर उनके साथ धक्का-मुक्की करने वाले सलमान खान बना दिए गए। मीडिया ने सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय तो बना दिया लेकिन ये सलमान की खुशकिस्मती है कि ऐसी छवि होने के बावजूद उनकी फिल्में हमेशा सपुर हिट रहीं। कहने का मतलब यह कि मीडिया की लाख कोशिशों के बावजूद सलमान के प्रति लोगों का प्यार कम नहीं हुआ।

फिलहाल, सलमान खान मुसीबतों से घिरे हुए हैं। एक तरफ साल 2002 के हिट एंड रन केस में फैसला आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ काले-हिरण का शिकार करने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में चार और गवाहों को पेश करने की अनुमति देने वाले आदेश को बहाल रखा है। ये दोनों ही मामले सलमान के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। इस दोनों मामलों में मीडिया द्वारा बनाई गई उनकी नकारात्मक छवि का असर साफ दिखता है। एक मामला 17 साल से और दूसरा 13 साल से कोर्ट में चल रहा है। इतने सालों से सलमान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जिसे अगर मापा जा सकता तो उन्हें सजा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अधिकतम सजा से ज्यादा वो वैसे ही झेल चुके हैं। लेकिन, कोर्ट को तो अपना काम करना है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं और सबूतों के आधार पर न्याय भी देना है। अब हमारा देश ही ऐसा है जहां न्याय पाने में इतना लंबा वकत लग जाता है तो शिकायत किससे की जाये।

वैसे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि अदालत में न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी है। वह कोर्ट में दी जाने वाली दलीलों को सुन तो सकती है लेकिन कटघरे में खड़े इंसान के अंदर झांक नहीं सकती। अगर ये पट्टी नहीं होती तो शायद सलमान अब तक आजाद होते। क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया ने सलमान को उसी रूप को देखा है जिस रूप में मीडिया ने उन्हें दिखाया उनकी जो छवि बनाई। छवि तो छवि ही है, यह हकीकत से अलग होती है, और हकीकत यह है कि सलमान बॉलीवुड का बैड बॉय नहीं बल्कि अकेला सुपर स्टार है जो सुपर युमन है।

manishbph244@gmail.com

कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आपमें कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप यहां अपने सपनों साकार कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोई आपके सपनों को परवाज देने वाला मिल जाये तो सोने पे सुहागा है। कुछ ऐसी ही कहानी है युवा गीतकार शब्बीर अहमद की। उनके साथ चौथी दुनिया के संपादक समन्वय मनीष कुमार से हुई बातचीत के मुख्य अंश...

फिलहाल आप कौन-कौन सी फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं?

अभी काफी फिल्में आ रही हैं। कई अच्छी फिल्मों के लिए के लिए गीत लिख रहा हूं, जैसे सलमान भाई के प्रोडक्शन की और टी सीरीज की ऑल इज वेल जैसी कई फिल्मों में।

सबसे पहले अपने किस फिल्म के लिए गीत लिखे?

सबसे पहले सलमान खान ने मुझे श्रादी करके फंस गया फिल्म में एक गीत दिलवाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म गर्व के लिए मुझे गीत लिखने का मौका दिया। फिर साजिद भाई ने मौका दिया था। मैं सलमान भाई के पास आता-जाता रहता था। साजिद भाई मेरे लिखे गीतों के मुखड़े सुनते थे। हिमेश रेशमिया जी के साथ सलमान भाई के लिए मैंने कई गीत लिखे। उनके साथ कई और गीत आने वाले हैं। मेरे गाने आपने देखे होंगे जैसे तुझे अक्सा बीच घुमा दूं आ चलती क्या, तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ्जों में बयान न हो पाये, जुम्मे की रात है चुम्मे की बात है, सोणी के नखरे सोणे लगदे, केंदी पो केंदी चैन, या हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेगें जैसे कई हिट गीत मैंने लिखे हैं।

आप मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं और आप मुंबई कैसे आये?

मेरी पैदाइश मुंबई के भिवंडी की है लेकिन मेरी मातृभूमि उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। हमारा परिवार यहीं रहता था और जब मुंबई में दंगे हुए थे, तब मेरे वालिद और मां के अंदर दहशत बैठ गयी थी। फिर वे हमें लेकर वापस गांव चले गए। हमारी पढ़ाई-लिखाई वहीं हुई, लेकिन हमारा मुंबई आना-जाना लगा रहता था।

आपको उस दौर में क्या-क्या सहना पड़ा?

फिल्म लाइन में आने का मुझे शौक था। जो लोग इसमें छोटे-मोटे काम करते थे मैं उन लोगों के पास जाता था। उनके हाथ-पैर जोड़ता था, उनसे मिनटें करता था कि मुझे भी मौका दिलाओ। मुझे याद है कि मैं भिवंडी में लूम चलाता था। हमारी एक लकड़ी की खोली थी, वह भी आधी टूटी और आधी झुकी थी। बिस्तर में बहुत सरे खटमल थे, मैं और मेरा भाई उसमें रहते थे। मेरा भाई दिन-रात झूटी करता था, वह दिन में केवल 2-3 घंटे सोता था। वह मुझे पैसे देता था, बोलता था कि भाई तू जा मेहनत कर। धीरे-धीरे यहां से वहां, वहां से यहां, दर-बदर घूमता रहा। कई होटलों में नौकरी की। 50 किलो की गेहूं-चावल की बोरी लेकर 7-8 माला बिल्डिंग में जाता था। लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था। फिर मेरी मुलाकात सलमान भाई हुई, वह एक फरिश्ते की तरह मेरी जिन्दगी में आये और हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्होंने हमारी जिन्दगी बदल दी।

आपकी मुलाकात सलमान खान से कहां और कैसे हुई?

मुंबई के मड-आईलैंड में शूटिंग चल रही थी। मैं रात 3 बजे साजिद भाई के साथ वहां गया, तब वहां सलमान भाई से मुलाकात हुई। सलमान भाई ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखकर साथ लेकर गये और बोले कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छा काम करो। मैंने कहा कि मैं

करूंगा। इसके बाद मैं मुखड़े लिखने लगा। फिर सलमान भाई को साजिद भाई के साथ मुखड़े बनाकर सुनाने लगा। भाई को मुखड़े अच्छे लगने लगे, वह बताने लगे इसे ऐसा करो, वैसे करो। ऐसा करते-करते सलमान भाई ने मुझे श्रादी करके फंस गया फिल्म में एक गीत दिलवाया।

श्रादी करके फंस गया फिल्म के कौन-कौन से गीत आपने लिखे?

उस फिल्म में सलमान भाई और शिल्पा शेठ्टी पर फिल्माया गीत दीवाने दिल को जाने जां कहीं आराम नहीं... ये मेरा पहला गीत था। इसके बाद सलमान भाई ने दूसरी फिल्म गर्व दिलाई। इसके बाद मेरी मुलाकात सलीम सुलेमान जी से हुई। फिर सलमान भाई के साथ मैं शाहरुख भाई से भी मिला। तब शाहरुख भाई काल फिल्म में काम कर रहे थे। करण जौहर और शाहरुख खान साथ-साथ थे। मैंने भी एक गीत लिखा तौबा-तौबा इश्क न करिया। अल्लाह के करम से वो गाना उन्हें पसंद आया। फिर दूसरे गाने की बारी आई कि शाहरुख भाई और मलाईका अरोड़ा जी के ऊपर एक आइटम सॉन्ग चाहिए था, मैंने फिर वह गाना लिखा इस काल-काल में करें धमाल। ये सब सिलसिला चलता रहा लेकिन इसकी शुरुआत सलमान भाई से हुई।

मगर अभी तो उनके खिलाफ दो-दो केस चल रहे हैं?

उनके केस के बारे में मुझे तो अभी कुछ नहीं पता है कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन खुदा करे मालिक हर सदी में उनको लोगों की मदद करने के लिए भेजे। लोगों की मदद करना, लोगों को मंजिल तक पहुंचाना, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। फिल्म इंडस्ट्री में तो सब बोलते हैं लेकिन कोई काम नहीं देता, केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

ये लोग ऐसा क्यों करते हैं?

ये सबका अपना-अपना तजुबा है, अपना-अपना तरीका है। मगर आप सलमान भाई के सेट पर चले जाओ, घर पर चले जाओ, बिना खाए जाओ या खाकर जाओ। चाहे वो कोई भी हो, उनके यहां खाना, नाश्ता, पानी हर चीज आपको मिलेगी और वो देते हैं।

ऐसे कितने वाक्ये हैं सलमान भाई के?

अभी हाल ही में एक बार मैंने जुम्मे की रात गाने की लाइनें भाई को दीं, घर में कुछ बातचीत हुई फिर मैं वहां से निकल गया। मैं बोला चला जाता हूं। मैं वहां से जुहू तक ही पहुंचा था कि सलमान भाई ने फोन करके पूछा कि बिना खाना खाये चला गया। उन्होंने मुझे वापस बुलाया, कहा कि खाना खाओ फिर जाना। सलमान भाई की वजह से आज मेरे पांच भाई-बहनों की शादी हुई। मैंने मुंबई में अपना घर लिया। आज मेरा पूरा परिवार सेटल है। 2 महीने पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मुझे खुशी है कि भाई की वजह से मेरे वालिद ने दुनिया की हर खुशी देखी।

फिल्म दिमाग का दही के लिए आपने गीत लिखे हैं, खासकर जो कव्वाली आपने बनाई है उसके बारे में बताइए, कहां से इन्स्पयव हुए?

देखिये, फीजिया अर्शा मेरी बहन हैं और इसका सारा क्रेडिट उन्हें जाता है क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से सिचुएशन और शॉट को एक्सप्लेन किया था, उस चीज तक पहुंचने की मैंने उसी हिसाब से कोशिश की। मैंने तो बस कोशिश की है। लेकिन एक अच्छा गाना बना है। फिल्म का टाइल तो इतना फनी है, टाइल सॉन्ग इशाअल्लाह सुपरहिट होगा। फ्रॉक पहन के शॉर्ट, लगती हो बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट, इसके अलावा जो कव्वाली का सूफियाना अंदाज हो या रोमांस या रोमांटिक शायरी हर लेवल पर उनके साथ काम करना और इन सारी चीजों को साथ लाना कमाल की बात है। मेरे और उनके बीच यह डिबेट होता था कि ये सिंगर होना चाहिए। ये लिक्विड होने चाहिए, इस तरह होना चाहिए। फौजिया जी ने कमाल का कंपोज़ किया है। कैलाश जी ने, शफाकत-अमानत अली जैसे लोगों ने इस फिल्म में गाने गाये हैं।

## संघर्ष से बना गीतकार शब्बीर अहमद



इंटरव्यू

# चौथी दनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

बिहार  
झारखंड

27 अप्रैल-03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467



www.vastuvihar.org Customer Care : 080 10 222222  
• 1 Builder • 9 States • 58 Cities • 107 Projects

9 लाख में  
2 BHK  
FLAT



5 STAR BUNGALOW

खिलीगुड़ी, रांची, बोकारो, धनबाद, पटना  
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में तैयार

Five Star  
Bungalow यानि..

6 डिब्बी कड़ाके की ठंड हो या 42 डिब्बी की गर्मी,  
घर की भीतरी तापमान मात्र 21 डिब्बी से 27 डिब्बी  
नोट :- वास्तु विहार में पहले से लिए गये घर को Five Star  
में बदलने के लिए कार्यालय से सम्पर्क करें।



## कांग्रेस और मांझी में पक रही है खिचड़ी

कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हर हाल में नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक देगी. इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए. जबकि एक खेमा चाहता है कि पार्टी को ज़मीन पर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए.



**क** हा जाता है राजनीति अपने हित में संभावना तलाशने और उसे अमलीजामा पहनाने का ही खेल है. कांग्रेस इन दिनों बिहार में राजनीति का यही गेम खेल रही है. पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति में लगभग हाशिये पर खड़ी कांग्रेस के लिए इस बार के सूबे के चुनाव में कुछ बेहतर करने का भारी दबाव है. यह दबाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली में अपनी गिरती साख को लेकर चिंतित बड़े नेताओं पर भी है. कांग्रेस आज केंद्र और बिहार की राजनीति में जिस दौराहे पर खड़ी है, उसके मददेनजर इस बार के बिहार चुनाव का महत्व और भी बढ़ जाता है. यही चजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेसियों के बीच गहन मंथन का दौर जारी है. दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है. पहला सबसे बड़ा टास्क नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है तो दूसरी प्राथमिकता राज्यों में अपनी ज़मीन को मजबूत करना भी है. बिहार में सत्ता से हटने के बाद से ही कांग्रेस सूबे में कभी लालू प्रसाद तो कभी नीतीश की पिछलग्गू बनकर ही रही है. मौजूदा नीतीश सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन हासिल है. प्रदेश अध्यक्ष खुद तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की कृपा से एमएलसी बन गए पर कांग्रेस का चुनावी भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कोई भी नेता आश्वस्त नहीं है. यह कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि सत्ता से हटने के बाद पार्टी का ज्यादा समय आपसी लड़ाई में ही गुजरा. एक अध्यक्ष बना नहीं कि दूसरा गुट उसे हटाने में लग गया. यह सिलसिला आज की तारीख तक जारी है. इस दौरान अगर कुछ दिनों के लिए अनिल शर्मा का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने अपना पूरा वक्त आपसी झगड़े में ही गुजार दिया. नतीजा यह हुआ कि पार्टी कभी अपने आप को ज़मीन पर खड़ी नहीं कर पाई. चुनाव में उसे बैसाखी की जरूरत पड़ने लगी और लालू प्रसाद अपनी शतों पर हमेशा इस काम के लिए तैयार दिखे. इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भूत कांग्रेस को परेशान किए हुए है. कांग्रेस को

## भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने ज़मीन तैयार कर रही कांग्रेस

**च** पारण में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस इन दिनों भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने जनता को लुभाने व अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए संघर्ष करने लगी है. कांग्रेसी इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं. वे अपने कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतर कार्ययोजना बनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं. क्या है भूमि अधिग्रहण बिल और इस बिल से क्या हानि होगी, विस्तार से चर्चा करते हुए कांग्रेसी नहीं थक रहे हैं.

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया, संग्रामपुर, बंजरिया, कोटवा समेत सभी इलाकों में उनकी सक्रियता देखी जा रही है और इस अभियान से आगामी चुनाव में पड़ने वाले दूरगामी असर की समीक्षा की जाने लगी है. चौक-चौराहों पर भी कांग्रेस के इस अभियान की चर्चा हो रही है. कैसे आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे, इस बाबत कार्यकर्ताओं को विशेष टास्क भी दिया जा रहा है और प्रदेश नेतृत्व की पूरी टीम इस अभियान में काफी सक्रिय दिख रही है. सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं की भी जगाने की कोशिश की जा रही है और अपने आलाकमान के फैसले को आम-जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. यह पद यात्रा कांग्रेसियों के लिए कितनी सार्थक होगी और आगामी चुनाव में क्या रंग लायेगी, यह तो आने वाला समय ही निर्धारित करेगा किन्तु इस यात्रा ने जिस तरह राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है उसके अनुसार, कांग्रेस का यह अभियान भाजपा को काफी नुकसान पहुंचायेगा. बीते दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में केसरिया व संग्रामपुर में पहुंची पद यात्रा व इस यात्रा की स्वागत में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि केन्द्र सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेसियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है और



जनता का झुकाव भी उनके पक्ष में हो रहा है. यहां बताते चलें कि चंपारण में कांग्रेस पूरी तरह से अपना वजूद खो चुकी है और बीते लोक सभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेसी काफी सुस्त हो गये थे. किन्तु इस पद यात्रा ने एक बार फिर उन्हें जगा दिया है. प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस यात्रा के बाद केसरिया में एक सभा की और जो संदेश दिया उससे कार्यकर्ता उत्साहित तो हुए ही साथ ही पुराने साथी भी कांग्रेस के नजदीक आ गये. उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर केन्द्र की मोदी सरकार पर जम कर निशाना साधा और कहा कि पुंजीपतियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार यह बिल लायी है. इस बिल के खिलाफ कांग्रेस अपना अभियान जारी रखेगी और हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी. दूसरी तरफ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि कांग्रेसी प्रत्येक गांव में पहुंचने के लिए संकल्प ले चुके हैं और अपने लक्ष्य के अनुसार जनता तक पहुंच रहे

हैं. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मान सम्मान देने का आश्वासन दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है जो प्रत्येक गांव व इलाके में जायेगी और लोगों को जागरूक करेगी. सभा के दौरान पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, ब्रजेश पांडेय, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष विपिन झा, राष्ट्रीय नेता शंभू सिंह, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पासवान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रजनीश कुमार सिंह, अंकु पांडेय, बच्ची पांडेय, मधुबाला पांडेय, जिला उपाध्यक्ष शशि कान्त मिश्र, मो. कलाम हुसैन, मुनमुन जायसवाल आदि ने अपनी पूरी सक्रियता दिखाकर चंपारण की राजनीति गरमा दी. कुल मिलाकर चंपारण में कांग्रेस अपनी जमीन तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रही है और उसके कार्यकर्ता भी लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं.

- इंतज़ारूल हक

नरेंद्र मोदी को भी रोकना है और चुनावों में भी बेहतर करना है. चूंकि लक्ष्य दोहरा है इसलिए चुनावी रणनीति को लेकर भी एक राय नहीं बन रही है. कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता दल परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हर हाल में नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक देगी. इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए. अभी हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा भी था कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि वह महागठबंधन के साथ रहे ताकि नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोका जा सके. बिहार में भाजपा की हार से नरेंद्र मोदी का जादू देशभर में उतर जाएगा. जबकि कांग्रेस का दूसरा तबका मानता है कि जनता ने लालू नीतीश और सुशील मोदी का शासन देख लिया है इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस बिहार में एक नया प्रयोग करे. इस खेमे का कहना है कि कांग्रेस को जीतनराम मांझी के साथ चुनावी तालमेल कर या फिर उनके पूरे कुनवे को कांग्रेस में शामिल कर अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहिए. इस खेमे का कहना है कि विलय सबसे आदर्श स्थिति होगी लेकिन अगर यह नहीं हो पाता है तो फिर जीतनराम मांझी को सीएम का प्रत्याशी घोषित कर आधी आधी सीटों पर चुनावी जंग में उतरना चाहिए. इस खेमे का तर्क है कि ऐसा करके कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को एक बार फिर से जिंदा करने में सफल रहेगी. दलित, महादलित अल्पसंख्यक और अगड़ी जातियों को गोलबंद कर कांग्रेस बिहार में काफी बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है. इससे पार्टी को अपनी ज़मीन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी. सालों से सुस्त पड़ गए कांग्रेसियों को लगेगा कि पार्टी इस बार बिहार में किसी की पिछलग्गू नहीं बल्कि अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है. अगर कांग्रेस बिहार में बेहतर नतीजे दे सकी तो फिर देशभर में उसे जिंदा होने का एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि अभी तो नीतीश कुमार सरकार को हमारा समर्थन है अब आगे क्या करना है इसका फैसला करने का अधिकार तो केंद्रीय नेतृत्व को है.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर









## उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड

### कानून और न्याय की दुर्व्यवस्था चरम पर



# अपराधी फरार जेल में निर्दोष

उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीमकोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए बगैर आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है. इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे. आप उस जांच के बारे में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई. पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.



प्रभात रंजन धन

**उ**त्तर प्रदेश में समाजवाद का राज है. वैसे तो पूरे देश में कानून और न्याय की हालत केवल शोरोबाजी तक केंद्रित होकर रह गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे भयावह है. कानून और राजनीति की खिचड़ी से प्रदेश में जो सिस्टम उत्पादित हुआ है, वह नायाब है. जिस प्रदेश में तकरीबन साठ-सत्तर हजार लोग बिना किसी न्यायिक सुनवाई के बरसों-बरस से जेलों में बंद हों, वहां की शासनिक-प्रशासनिक-न्यायिक व्यवस्था के बारे में आसानी से समझा जा सकता है. फिर इसमें हेत क्यों जताई जाती है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्त फरार हैं! देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार से अधिक अभियुक्त फरार हैं. सुप्रीमकोर्ट ने इन फरार अभियुक्तों के खिलाफ भी अभियोग पत्र (चार्ज शीट) दाखिल करने की इजाजत दी है. लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जो बिना किसी न्यायिक सुनवाई के कैद भोग रहे हैं. इनमें अधिकांश ऐसे कैदी हैं जो पांच और दस वर्ष से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं. कहने के लिए वे विचाराधीन हैं, लेकिन उनपर कोई विचार नहीं किया जा रहा. उनका अपराध साबित भी हो जाए तो अधिकांश लोगों की सजा उस त्रासद अवधि से कम ही होगी, जितनी अवधि से वे जेल भोग रहे हैं. न्यायिक सुनवाई के बाद जिन विचाराधीन कैदियों को बाइजुत रिहा किया जाएगा, उनकी जेल में कटी उम्र की इज्जत कौन सी न्यायिक व्यवस्था रखेगी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. बात-बहादुरी की चाहे जितनी कर ली जाए. उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक 58,100 है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आधिकारिक आंकड़ा 2013 तक का है. राष्ट्र का इतना महत्वपूर्ण महकमा इतनी स्पीड से चलता है कि उसका आंकड़ा हमेशा दो साल पीछे ही रहता है. बहरहाल, इस आंकड़े में न्यायिक-दुर्गति के हिसाब से आकलन कर लें तो संख्या साठ से सत्तर हजार पहुंच जाती है. ऐसे में अभियुक्तों की फरारी के अपने वाजिब तर्क भी हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीमकोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए बगैर आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है. इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे. आप उस जांच के बारे में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई. पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.

68 हजार फरार अपराधियों में गंभीर अपराधों में वांछित ऐसे भी शातिर अपराधी शामिल हैं, जिनके मामलों में जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन फरारी के चलते अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो सका था. सुप्रीमकोर्ट के जज दीपक मिश्रा और पीसी पंत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी. सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए पूछा कि

### सरकार के मुंह पर तमाचा

**रा**ष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के लिए लड़ने का ढंग करने वाली सारी सामाजिक संस्थाएं और संविधान के प्रावधानों के तहत मानवाधिकार के प्रति संजीदा रहने का भाषण पढ़ने वाली सरकार के चेहरे पर 1770 की संख्या एक करारे तमाचे की तरह है. वर्ष 2013 के इस आंकड़े में और दो साल की संख्या मिला दी जाए जो तमाचे का झन्नाटा और बढ़ जाता है. चलिए 2013 के ही आंकड़े को सामने रख कर बात करें. उत्तर प्रदेश की जेलों में 1770 ऐसे लोग वर्षों से बंद हैं जो जुमाने की रकम जमा नहीं कर पाने के कारण जेल से छूट नहीं पा रहे हैं. आप समझ ही सकते हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, जो जुमाने की तुच्छ रकम भी जमा करने की औकात नहीं रखते. जेलों में बंद ऐसे 1770 मजदूर लोगों में 81 महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन सरकार या संस्थाएं इनके लिए आगे नहीं आती. बिहार को बदनाम तो किया जाता है, लेकिन बिहार में मात्र 13 ऐसे कैदी हैं जो जुमाने की रकम अदा नहीं करने के कारण जेल में बंद हैं. आप उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं.

### बिना सजा के क्यों भुगत रहे हैं जेल!

**उ**त्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की प्रतिष्ठा के तमाम प्रशासनिक प्रावधान लागू करने की घोषणाएं करके प्रत्येक अंतराल पर अपनी पीठ टोकने का प्रायोजन करती रहती है. लेकिन आप हेत करेंगे कि बिना सजा मुकरं हुए ही वर्षों से प्रदेश की विभिन्न जेलों में कारावास भुगत रहे 58,100 विचाराधीन कैदियों में से 2,349 महिलाएं हैं. यह आंकड़ा देखते हुए फिर ध्यान रखें कि यह संख्या वर्ष 2013 की है. दो साल में यह संख्या काफी अधिक हो गई है, लेकिन इनकी रिहाई या कानूनी तौर पर इनकी जमानत के लिए समाजवादी सरकार को सोचने की भी फुर्सत नहीं है. वैसे, जितने भी विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, उनकी जमानत के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है. लेकिन जेलों में बंद विचाराधीन कैदी वोट नहीं हैं, इसलिए सरकार पर क्या फर्क पड़ता है.

में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई. पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.

आखिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के कारण उत्तर प्रदेश में 67,816 मामलों में आरोप-पत्र नहीं दाखिल हो पाए हैं. इन सारे मामलों से जुड़े अभियुक्त फरार हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की धीमी गति व अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या पर चिंता जताते हुए 24 मई 2013 को यह आदेश दिया था कि अगर अभियुक्त अदालत में पेश न हो तो जिला अदालतों द्वारा पुलिस की ओर से दाखिल आरोप-पत्र स्वीकार नहीं किया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि 6 लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए. हाईकोर्ट ने इन वीभत्स आंकड़ों को देख कर राज्य के

तत्कालीन डीजीपी और गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव को आदेश दिया था कि वे इन मामलों में अभियुक्तों की संबंधित अदालतों में पेशी सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया कि इसके लिए पुलिस को संबंधित अदालत से सम्मन या पेशी वारंट का आदेश लेने जरूरत नहीं होगी. हाईकोर्ट ने पांच फरवरी 2013 को निर्देश दिया था कि डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव यह सुनिश्चित करें कि आरोप-पत्र दाखिल करते समय अभियुक्त अदालत में हाजिर रहे. पेशी के समय जांच अधिकारी आरोप-पत्र, एफआईआर व अन्य दस्तावेजों की प्रति तैयार रखें और उसे उसी समय मजिस्ट्रेट के जरिए अभियुक्त को सारे दस्तावेज साँप दे. इसके लिए हाईकोर्ट ने दस्तावेजों की प्रतियां तैयार कराने के लिए सभी थानों में फोटोकॉपी मशीनें व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए थे. हाईकोर्ट का मानना था कि दस्तावेजों की प्रतियां रिसीव करने के बाद मुकदमा ठंडे बस्ते में नहीं जा पाएगा. लेकिन हाईकोर्ट के इन आदेशों की कौन सुनता है! नौकरशाही की नजर में न्यायिक सम्मान की स्थिति तो यह सामने आई कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने हाईकोर्ट में ही कह दिया कि इस आदेश का पालन नहीं हो सकता. गृह विभाग का कहना था कि अभियुक्त को दस्तावेजों की निशुल्क प्रति उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कानून संबंधित मजिस्ट्रेट की है, न कि जांच अधिकारी की. शासन ने यह भी रोना रोया कि फोटोकॉपी कराने के लिए महकमे के पास लोग और संसाधन नहीं हैं. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2013 को आदेश जारी कर फरार अपराधियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी थी. नियम यह है कि अपराध की जांच पूरी कर संबंधित अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस आरोप-पत्र दाखिल करती है. इसके बाद अदालत अभियुक्तों को पेशी के लिए सम्मन या वारंट जारी करती है. आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप-पत्र की प्रति और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं. हाईकोर्ट ने पाया कि दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए मामला लटक जाता है और मुकदमे में देरी होती है. इसके अलावा आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती और अभियुक्तों की अदालत में पेशी न होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाता है.

अभियुक्तों को पकड़ने और अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने के लिए सरकार राजनीतिक घोषणाओं की तरह तमाम वायदे करती रही है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं किया गया. दारोगा और पुलिसकर्मियों की भर्ती के नाम पर घोटालेबाजी और जातिवादी राजनीति तो खूब होती रही, लेकिन मर्ज दूर करने पर कोई विचार नहीं हुआ. रोग बढ़ता हुआ आज नामूर बन गया है. अलग से अभियोजन निदेशालय बनाने की भी मांग उठी, लेकिन यह भी राजनीति के पेचोखम में फंसी रह गई. मामला अदालत तक गया लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी. जबकि सीआरपीसी की धारा-25 के तहत अभियोजन निदेशालय बनाए जाने का प्रावधान है.

feedback@chauthiduniya.com



